



**एनसीवीईटी परिषद की 5वीं**

**बैठक का कार्यवृत्त**

**स्थान: एनसीवीईटी, कौशल भवन**

**दिनांक : 16 मार्च 2022**

**समय : प्रातः 11:30**

**दिनांक 16.03.2022 को आयोजित राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद की बैठक का कार्यवृत्त।।**

डॉ. निर्मलजीत सिंह कलसी, अध्यक्ष, एनसीवीईटी की अध्यक्षता में दिनांक 16 मार्च, 2022 को राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की 5वीं बैठक आयोजित की गई थी। श्री संजय कुमार, अपर सचिव, एमएचयूए और गैर-कार्यकारी सदस्य, एनसीवीईटी को अनुपस्थिति की अनुमति दी गई थी। प्रतिभागियों की सूची **अनुलग्नक -I** में दी गई है।

कोविड के बाद भौतिक रूप में परिषद की यह पहली बैठक थी। जिसमें एनसीवीईटी के समग्र दृष्टिकोण और मिशन को परिषद के सदस्यों के साथ साझा किया गया था (**अनुलग्नक-II**)। परिषद के सभी सदस्यों ने इसकी सराहना की।

**1. कार्यसूची मद सं. सी0501: एनसीवीईटी परिषद की 4थी बैठक का कार्यवृत्त की पुष्टि**

दिनांक 11.11.2021 को हुई परिषद की चौथी बैठक के कार्यवृत्त को परिषद के सदस्यों में परिचालित किए गए। इस पर कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। चौथी परिषद की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

**2. कार्यसूची मद सं. सी0502: एनसीवीईटी परिषद की चौथी बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट।**

2.1 परिषद की चौथी बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया। परिषद ने इसकी समीक्षा की और संतोष के साथ स्थिति को नोट किया। लंबित अनुपालनों पर की गई कार्रवाई नीचे दी गई है:

| क्र.सं. | एटीआर कार्यसूची   | परिषद का फैसला   | की गई कार्रवाई  |
|---------|---|--|---|
| (क)     | वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी और मल्टी पॉइंट एंट्री और एक्जिट के लिए क्रेडिट फ्रेमवर्क का विकास। | परिषद् ने परिषद की अगली बैठक में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी और मल्टीपॉइंट एंट्री एंड एक्जिट के लिए क्रेडिट फ्रेमवर्क के विकास के बारे में बताने का | एक समिति बनाई गई है तथा अब तक 10 बैठकें हो चुकी हैं। एक मसौदा रिपोर्ट तैयार कर ली गई है।<br><br>इस मद को सी0509 पर एक अलग कार्यसूची मद के रूप में |

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
|     |   | सुझाव दिया था।  | भी प्रस्तुत किया जा रहा है।   |
| (ख) | वर्तमान एनसीवीईटी की वेबसाइट में सुधार करना।                        | परिषद ने बेहतर सुरक्षा प्रावधानों के दृष्टि से वेबसाइट को एनआईसी प्लेटफॉर्म पर होस्ट करने की सलाह दी। | परिषद की वेबसाइट एनआईसी प्लेटफॉर्म पर होस्ट की गई है। अन्य मामलों को एनसीवीईटी के आगामी डिजिटल एंटरप्राइज पोर्टल के माध्यम से समाधान किया जाएगा, जिसे सी0505 पर एक अलग कार्यसूची मद के रूप में भी रखा गया है। |
| ग)  | एसआईपी से संबंधित मामलों का समाधान एनएसडीसी के सहयोग से किया जाएगा। | परिषद ने अलग बैठक आयोजित करने की सलाह दी शामिल एमएसडीई, एनएसडीसी और एनसीवीईटी।                        | एसआईपी से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए कई चर्चाएं हुई हैं। इसमें तकनीकी खामियां थीं और इसे दूर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।<br><br>अगली बैठक मार्च 2022 में निर्धारित है।                      |

डॉ. नीना पाहुजा, ईएम, एनसीवीईटी ने बताया कि एसआईपी के साथ जो मुद्दे हैं वे डिजाइन परिवर्तन से संबंधित हैं क्योंकि एसआईपी को शुरू में केवल एसएससी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया था और अन्य अवार्डिंग बॉडीज और विस्तारित पारिस्थितिकी तंत्र के साथ इन नई उभरती जरूरतों को पूरा करने की आवश्यकता होगी। श्री अतुल तिवारी ने स्किल इंडिया पोर्टल पर एनएसक्यूसी द्वारा अनुमोदित अर्हताओं की दृश्यता की तकनीकी समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए इस संबंध में एक संयुक्त बैठक आयोजित करने का सुझाव दिया क्योंकि यह उसी प्रारूप में होना चाहिए जैसा कि एनएसक्यूसी द्वारा अनुमोदित है। बैठक अगले सप्ताह में होगी।

### 3. कार्यसूची मद सं. सी0503: अवार्डिंग बॉडीज और मूल्यांकन एजेंसियों की मान्यता की स्थिति

3.1 परिषद के सदस्यों को अवार्डिंग बॉडीज और मूल्यांकन एजेंसियों की मान्यता की प्रगति की स्थिति पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई जिसका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

- क. अवार्डिंग बॉडीज और मूल्यांकन एजेंसियों की मान्यता और विनियमन के लिए दिशानिर्देश दिनांक 27 अक्टूबर 2020 को शुरू किए गए थे।
- ख. कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में किए जा रहे प्रशिक्षण, मूल्यांकन और प्रमाणन में निरंतरता की सुविधा के लिए, नियमित आधार पर एनसीवीईटी मान्यता प्राप्त करने के लिए मौजूदा अवार्डिंग बॉडीज (एबी) और मूल्यांकन एजेंसियों (एए) को 31 जनवरी 2022 तक की संक्रमण अवधि प्रदान की गई थी।
- ग. 45 एबी की अंतिम समीक्षा पूरी कर ली गई है और उन्हें उपयुक्त परिवर्तन/संशोधन/स्पष्टीकरण को शामिल करते हुए अपनी अद्यतन प्रस्तुतियों को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। 2 एबी के लिए समीक्षा की तिथि दिनांक 17 मार्च 2022 को निर्धारित की गई थी। 39 अवार्डिंग बॉडीज आवेदकों से संशोधित प्रस्तुतियां प्राप्त हुए थे और इन 39 एबी आवेदकों को आशय पत्र (एलओआई) जारी किया गया था और अनंतिम मान्यता प्रदान की गई थी। शेष 6 एबी को उनका अंतिम अनुपालन प्राप्त होने के अध्यधीन अनंतिम मान्यता जारी की जाएगी।
- घ. कोविड-19 की तीसरी लहर के कारण संक्रमण अवधि को 31 जनवरी 2022 से आगे बढ़ाने के संबंध में विभिन्न एबी और एए से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, इस प्रकार मौजूदा एबी के साथ सूचीबद्ध 06 मौजूदा एबी आवेदकों और 103 मूल्यांकन एजेंसियों के लिए संक्रमण अवधि क्रमशः 31 मार्च 2022 और 30 अप्रैल 2022 तक बढ़ा दिया गया है।
- ङ. मूल्यांकन एजेंसी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कुल प्रस्तावों में से, 17 मूल्यांकन एजेंसियों को उचित रूप से पूर्ण पाया गया और मान्यता के लिए विचार किया जा रहा था और उनकी अंतिम समीक्षा उप-समिति द्वारा मान्यता के लिए आयोजित की गई थी, जिसे परिषद ने अपनी पिछली बैठक में मान्यता पर निर्णय लेने का अधिकार दिया गया था। शेष प्रस्ताव स्क्रीनिंग, मूल्यांकन और सूचना अंतराल को पूरा करने के विभिन्न चरणों में हैं।

3.2 अध्यक्ष, एनसीवीईटी ने उल्लेख किया कि उप-समिति स्तर पर प्रत्येक समीक्षा बैठक के लिए, तीन परिषद सदस्यों (अध्यक्ष, दोनों कार्यकारी सदस्य और एक निदेशक) की उपस्थिति के अलावा बाहर से एक सदस्य (उपलब्धता के आधार पर एआईसीटीई, यूजीसी आदि) आमंत्रित किया जा रहा है। इसके अलावा, इस परिषद के सभी मौजूदा सदस्यों को या तो शारीरिक रूप से शामिल होने या

उनकी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन शामिल होने के लिए एक आमंत्रण भेजा जाता है। हालांकि, अन्य सदस्य अपनी पूर्व प्रतिबद्धताओं के कारण अब तक शामिल नहीं हो पाए हैं। एबी और एए को मान्यता प्रदान करने के महत्व पर जोर देते हुए, उन्होंने सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि वे कम से कम कुछ समीक्षा बैठकों, विशेष रूप से एए से संबंधित बैठकों के लिए स्वयं उपलब्ध हों। उन्होंने एनसीवीईटी को सभी सदस्यों के साथ उप-समिति के समक्ष एबी और एए की प्रस्तुतियों की विस्तृत अनुसूची साझा करने का निर्देश दिया ताकि परिषद के सदस्य बारी-बारी से भाग लेने की योजना बना सकें और उनकी उपलब्धता के बारे में पहले से बता सकें।

3.3 परिषद के सदस्य, श्री राकेश रंजन द्वारा एनसीवीईटी की मान्यता प्राप्त करने के लिए मूल्यांकन एजेंसियों (एए) का निर्णय करने के मानदंडों पर उठाए गए प्रश्नों के जवाब में यह सूचित किया गया था कि विस्तृत दिशानिर्देश और जांचसूची अधिसूचित की गई थी जो एनसीवीईटी वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। सदस्यों को आगे बताया गया कि दोहरी मान्यता के लिए आवेदकों के संबंध में अवार्डिंग बॉडीज और मूल्यांकन एजेंसियों के कार्य जैसे अन्य कड़े उपाय किए जा रहे हैं, जो स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए थोड़ी ही दूरी पर होगा। इसी प्रकार बायोमेट्रिक का विवरण और पास का प्रतिशत, प्रॉक्टर/निर्धारकों द्वारा वीडियो रिकॉर्डिंग, मौके पर जांच, अपवाद रिपोर्ट तैयार करने आदि जैसे मापदंडों को जोड़ने के लिए डेटा विश्लेषण का उपयोग मान्यता पर निर्णय लेते समय किया जा रहा है। अध्यक्ष ने परिषद के सदस्य सचिव को सदस्यों द्वारा टेम्पलेट / चेकलिस्ट की बेहतर सराहना के लिए परिषद के सदस्यों के साथ दो-तीन आवेदकों (एए) की प्रस्तुतियों को साझा करने के लिए कहा।

3.4 श्री राकेश रंजन, अपर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, एमओई द्वारा एनसीवीईटी पैनलबद्ध एए द्वारा निष्पक्ष और मजबूत मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं को समझने के बाद इस पर किये गये अनुरोध के जवाब में, सभी सदस्यों को यह बताया गया कि एनसीवीईटी मूल्यांकन में अधिक निष्पक्षता लाने के लिए यथा संभव ऑनलाइन मूल्यांकन प्रौद्योगिकी सक्षम मूल्यांकन में शिफ्ट होने को सुनिश्चित कर रहा है। हालांकि हस्त कौशल का मूल्यांकन फिजिकल मोड में ही किया जा रहा है। अध्यक्ष ने निरीक्षक के मूल्यांकन और उससे होने वाले लाभों पर थोड़ी चर्चा की। उन्होंने आगे कहा कि एनटीए (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) और एनआईईएसबीयूडी जैसे सरकारी संगठन मूल्यांकन को मजबूत करने के लिए कौशल पारिस्थितिकी तंत्र की सहायता कर सकते हैं।

3.5 अध्यक्ष ने उन एए की संख्या को संबोधित करने की आवश्यकता के बारे में बात की जो एनसीवीईटी से मान्यता प्राप्त अवार्डिंग बॉडीज से जुड़े हुए हैं और एबी के लिए एक एए द्वारा किए जा रहे मूल्यांकन की अधिकतम और न्यूनतम सीमा तय करने के प्रस्ताव का उल्लेख किया, जैसे कि 10% से 40%, जिसे सेक्टर और भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर एनसीवीईटी द्वारा तय करना होगा।

3.6 प्रत्येक प्रस्ताव की जवाबदेही के संबंध में श्री अतुल तिवारी की टिप्पणियों, विशेष रूप से ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाने वाले टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए, यह स्पष्ट किया गया था कि कोविड महामारी और कार्यबल की कमी होने के कारण कुछ मामलों में देरी हो सकती है, लेकिन सभी संभव कदम उठाए गए हैं और उठाए जा रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्राप्त प्रत्येक प्रस्ताव का हिसाब, जांच और तदनुसार कार्रवाई की जा सके।

3.7 परिषद के सदस्यों ने उपरोक्त कार्रवाई पर ध्यान दिया और संतोष व्यक्त किया। परिषद ने अवार्डिंग बॉडीज और मूल्यांकन एजेंसियों की मान्यता के संबंध में उप-समिति द्वारा अभी तक की गई कार्रवाई और निर्णयों की पुष्टि की। परिषद ने अवार्डिंग बॉडीज के साथ हस्ताक्षर किए जाने वाले मसौदा समझौते को भी मंजूरी दे दी और मूल्यांकन एजेंसियों के साथ हस्ताक्षर किए जाने वाले मसौदा समझौते को अंतिम रूप देना चाहती थी।

#### 4. कार्यसूची मद सं. सी0504: कौशल विश्वविद्यालय दिशा-निर्देश तैयार करना

4.1 परिषद को यह बताया गया कि दिनांक 05 दिसंबर, 2018 के एनसीवीईटी राजपत्र अधिसूचना संख्या एसडी -17/113/2017-ई&पीडब्लू के पैरा 16 (के) के तहत परिषद द्वारा आवश्यक कौशल विश्वविद्यालय दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार किया गया है। इसके अलावा, इस पर चर्चा की गई कि यूजीसी प्रोफेसरों के अभ्यास की अवधारणा शुरू कर रहा है जो पीएचडी प्राप्त करने के किसी भी मानदंड के बिना उद्योग के व्यक्ति हो सकते हैं और एक कौशल विश्वविद्यालय में संकाय सदस्य के रूप में पढ़ा सकते हैं। एक बार यूजीसी द्वारा अधिसूचित किए जाने के बाद, ऐसे दिशानिर्देशों को कौशल विश्वविद्यालयों पर इन मसौदा दिशानिर्देशों में भी शामिल किया जाएगा और फिर बाद में एमएसडीई के साथ साझा किया जाएगा। श्री राकेश रंजन ने आईआईटी/एनआईटी में प्रोफेसरों के अभ्यास के उदाहरणों का भी हवाला दिया, जिन्हें एनसीवीईटी के अध्यक्ष के अनुरोध पर, उन्होंने एनसीवीईटी के साथ साझा करने के लिए सहमति व्यक्त की।

4.2 परिषद ने कौशल विश्वविद्यालय दिशानिर्देशों के मसौदे को संज्ञान में लिया और निर्णय लिया कि यूजीसी दिशानिर्देशों के मसौदे और आईआईटी/ एनआईटी में पालन किये जा रहे प्रोफेसरों के अभ्यास के संबंध में उपर्युक्त उल्लेखित दस्तावेजों से प्रासंगिक पहलुओं को शामिल करने के बाद कौशल विश्वविद्यालय के दिशा-निर्देशों की एक प्रति एमएसडीई को एमएसडीई को भेजी जा सकती है। एमएसडीई बाद में इसे यूजीसी को उनकी टिप्पणियों के लिए भेज सकता है और उनके साथ अंतिम दिशानिर्देश भी साझा कर सकता है, ताकि कौशल विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करते समय अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके और साथ ही एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित अर्हता का संचालन करने वाले मौजूदा विश्वविद्यालयों को भी।

#### 5. कार्यसूची मद सं. सी0505: एनसीवीईटी डिजिटल एंटरप्राइज पोर्टल की स्थिति

5.1 परिषद को एनसीवीईटी डिजिटल एंटरप्राइज पोर्टल के विकास की स्थिति के बारे में बताया गया था। परिषद को सूचित किया गया कि एमएसडीई की सलाह के अनुसार, डिजिटल एंटरप्राइज पोर्टल के लिए आरएफपी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए जीईएम पोर्टल के माध्यम से परामर्श सेवाओं के चयन की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जा रहा है। पूर्व अर्हता मूल्यांकन के लिए तकनीकी बोली दिनांक 15 मार्च 2022 को खोली गई थी और तीन परामर्श एजेंसियों, केपीएमजी, डेलॉइट और पीडब्ल्यूसी ने अपनी बोलियां जमा कर दी हैं। मूल्यांकन का कार्य प्रगति पर है। अध्यक्ष, एनसीवीईटी ने परिषद के सदस्य सचिव को निदेश दिया कि

परिषद के सदस्यों को समय-समय पर एनसीवीईटी डिजिटल एंटरप्राइज पोर्टल के विकास पर हुई प्रगति से अवगत कराया जाए।

**परिषद ने उपरोक्त को "सैद्धांतिक रूप से" अनुमोदन प्रदान किया।**

#### **6. कार्यसूची मद सं. सी0506: एनएसडीए/ एनसीवीईटी की वार्षिक रिपोर्ट की स्थिति**

परिषद को सूचित किया गया कि एनएसडीए की वर्ष 2014-15 से 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट दिनांक 2 फरवरी, 2022 को राज्य सभा में और 7 फरवरी, 2022 (वर्ष 2014-17 के लिए) और 8 फरवरी 2022 को (वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए) को लोकसभा में रखी गई है।

इसके अलावा, वर्ष 2019-20 और 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ-साथ संबंधित वित्तीय वर्षों के लेखा परीक्षित लेखा विवरण भी तैयार किए गए हैं और अनुमोदन के लिए विचाराधीन हैं।

एक बार अनुमोदित होने के बाद, इन रिपोर्टों को अनुमोदन के लिए परिषद के समक्ष रखा जाएगा और संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखने के लिए एमएसडीई को अग्रेषित किया जाएगा। इसके अलावा, 2021-22 की अवधि के लिए वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना 01 अप्रैल, 2022 से शुरू होगा।

**परिषद ने इसे अपने संज्ञान ले लिया है।**

#### **7. कार्यसूची वस्तु सी0507: अनुमोदन का अर्हता में उच्च मांग द्वारा उद्योग और मान्यता प्राप्त पुरस्कार निकायों के अलावा अन्य प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत**

परिषद को इस बात से अवगत कराया गया था कि एनसीवीईटी से एनएसक्यूएफ संरेखण और अनुमोदन के लिए अपनी उच्च गुणवत्ता वाली उद्योग संचालित अर्हता लाने के लिए उद्योग में उच्च मांग में अर्हता वाले मान्यता प्राप्त अवार्डिंग बॉडीज के अलावा, प्रतिष्ठित उद्योग के साथ-साथ निजी क्षेत्र के संगठनों से संपर्क किया जा रहा है।

परिषद के सदस्यों को सूचित किया गया था कि एनसीवीईटी ने अपनी 14वीं बैठक में एनएसक्यूसी ने पहले ही एनएसक्यूएफ संरेखण और अनुमोदन के लिए ऐसी उच्च गुणवत्ता अर्हता को स्वीकार करने के लिए मंजूरी दे दी है, जो उनके लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के अधीन है:

- (क) अर्हता को उच्च गुणवत्ता वाली विषय वस्तु के साथ अच्छी तरह से डिजाइन और विकसित की जानी चाहिए, जो उद्योग की जरूरतों के लिए अनुकूलित हो ;
- (ख) अर्हता उन कौशलों से संबंधित होनी चाहिए जिसकी बाजार में काफी मांग में हो, भविष्य में उद्योग के लिए आवश्यक कौशल हो, जिसमें उज्ज्वल रोजगार की संभावनाएं हैं या उद्यमिता / स्वरोजगार के अवसर हैं;
- (ग) इस इस श्रेणी के तहत स्वीकृत अर्हता एनक्यूआर में राष्ट्रीय अर्हता पूल का हिस्सा बन जाएगी और इसे अंगीकार करने के दिशा-निर्देशों के अनुसार इसे अपनाने के लिए अन्य

**सभी मान्यता प्राप्त अवार्डिंग बॉडीज के लिए उपलब्ध होगी;**

- (घ) ऐसी अर्हताओं की प्रारंभिक वैधता एक वर्ष की अवधि के लिए हो सकती है, जिसकी उपयोगिता और प्रासंगिकता के लिए समीक्षा की जाएगी और प्राप्त परिणाम के आधार पर तीन साल की नियमित मान्यता अवधि के बाद के अनुदान पर विचार किया जा सकता है;
- (ङ) **एनसीवीईटी** ऐसी अनुमोदित अर्हताओं का संरक्षक होगा जिन्हें कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूदा अवार्डिंग बॉडीज के माध्यम से भी लागू किया जा सकता है। विस्तृत तौर-तरीकों पर काम किया जाएगा और एनसीवीईटी द्वारा इसे अधिसूचित किया जाएगा;

इस व्यवस्था को एनएसक्यूसी द्वारा एक पायलट के रूप में अनुमोदित किया गया था जिसे एक वर्ष के बाद समीक्षा किया जाना था।

साथ ही सभी सामान्य एनओएस जैसे रोजगार अर्हता कौशल, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य और सुरक्षा, सॉफ्ट-स्किल, टिकाऊ कौशल, या सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य सामान्य एनओएस, या तो एनसीवीईटी द्वारा या किसी भी अवार्डिंग बॉडीज द्वारा विकसित आम पूल का हिस्सा बनेंगे एनओएस के और लागू होने वाले सभी क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त अवार्डिंग बॉडीज द्वारा अपनाने के लिए एनसीवीईटी की संरक्षण में इसे आगे बढ़ाया जाएगा।

**परिषद ने प्रस्ताव की पुष्टि की।**

**8. कार्यसूची मद सं. सी0508: उद्योग 4.0 और उसके बाद के सहित फ्यूचर स्किल पर अर्हता का विकास।**

परिषद को उद्योग 4.0 और उसके बाद के सहित फ्यूचर स्किल से संबंधित अर्हताओं के विकास के संबंध में एनसीवीईटी द्वारा की गई पहल के बारे में बताया गया था। यह सूचित किया गया था कि अवार्डिंग बॉडीज (एसएससी) फ्यूचर स्किल अर्हताओं की पहचान और विकास पर काम करने के लिए प्रेरित किया गया था और आज की तारीख में 33 एबी (एसएससी) ने फ्यूचर स्किल और उद्योग 4.0 पर 350 से अधिक अर्हताएं प्रस्तुत की हैं। परिषद ने इस पहल की सराहना की।

श्री अमित कटारिया जेएस एमओआरडी ने परिषद को सूचित किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले स्तर 1 से 3 की लगभग 50 से अधिक नौकरी भूमिकाओं पर भी काम कर रहा है और परिषद से अनुरोध किया कि क्या उन्हें एनएसक्यूएफ संरेखित किया जा सकता है और आगामी एनएसक्यूसी में अनुमोदन प्रदान किया जा सकता है। अध्यक्ष ने ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल का स्वागत किया और आश्वासन दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में आम जनता के सच्चे हित में, एनसीवीईटी ऐसी सभी अर्हताओं को एनएसक्यूएफ के साथ संरेखित करने और उनके



अनुमोदन में हर संभव सहायता प्रदान करेगा। अध्यक्ष ने आगे श्री अतुल तिवारी, डीजी, डीजीटी से अनुरोध किया कि डीजीटी / सीएसटीएआई अग्नि सुरक्षा आदि पर कॉमन एनओएस भी विकसित कर सकते हैं जिन्हें विभिन्न अर्हताओं में शामिल किया जा सकता है जिन्हें अग्नि सुरक्षा प्रथाओं पर ज्ञान की आवश्यकता होती है।

परिषद ने इसका संज्ञान लिया और इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।

**9. कार्यसूची मद सं. सी0509: व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा दोनों के लिए क्रेडिट के संचय और हस्तांतरण पर एकीकृत क्रेडिट फ्रेमवर्क**

**9क) व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा (यूसीएफ) दोनों के लिए एकीकृत ऋण संचय और हस्तांतरण ढांचे का विकास।**

यूसीएफ पर काम की वर्तमान स्थिति और ढांचे के विभिन्न पहलुओं पर अध्यक्ष द्वारा परिषद को जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि यूजीसी, एआईसीटीई, सीबीएसई, एनसीईआरटी, एनआईओएस और एमएसडीई के सभी समिति सदस्यों के पूर्ण सहयोग से रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। मसौदा रिपोर्ट के लिए उनके प्रासंगिक विषय/अध्याय। इसका पहला संस्करण मार्च 2022 के अंतिम सप्ताह तक अस्थायी रूप से तैयार हो जाएगा।

परिषद को अवगत कराया गया कि एकीकृत ऋण ढांचे पर उच्च स्तरीय समिति द्वारा निम्नलिखित सिद्धांतों पर सहमति व्यक्त की गई है:

क) शिक्षा, उच्च शिक्षा और कौशल शिक्षा में एक वर्ष में कुल अनुमानित सीखने के घंटे: 1200 घंटे ।

ख) एक साल में अर्जित क्रेडिट: 40

ग) प्रति क्रेडिट कुल अनुमानित घंटे: 30

परिषद को इस बात से अवगत कराया गया कि एनएसक्यूसी की 16वीं बैठक में भी इस मद पर चर्चा हुई थी। एनएसक्यूसी में यह निर्णय लिया गया था कि यूनिफाइड क्रेडिट फ्रेमवर्क (यूसीएफ) का पूरा लाभ उठाने के लिए, सभी अवार्डिंग बॉडीज को एनएसक्यूएफ संरेखण और अनुमोदन के लिए अर्हता प्रस्तुत करते समय 30 घंटे के गुणक में अपनी अर्हता को संरेखित करने की सलाह दी गई है। यहां तक कि सभी मौजूदा अर्हताओं के लिए भी सभी अवार्डिंग बॉडीज को सलाह दी गई है कि वे अर्हता की गुणवत्ता से समझौता किए बिना जहां तक संभव हो 30 घंटे के गुणकों में इन्हें अपडेट करें।

**9ख) अनुमानित घंटों के मानकीकरण के माध्यम से यूनिफाइड क्रेडिट फ्रेमवर्क के साथ अर्हताओं को**

## संरेखित करना।

परिषद को अवगत कराया गया कि एनसीवीईटी ने कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न अवार्डिंग बॉडीज द्वारा ऐसे मापदंडों को अधिक अनुकूल बनाने के लिए प्रस्तावित यूनिफाइड क्रेडिट फ्रेमवर्क के साथ मौजूदा अर्हता मापदंडों के संरेखण को सरल, सुव्यवस्थित, मानकीकृत और बेहतर बनाने के लिए यह अभ्यास किया। यूनिफाइड क्रेडिट फ्रेमवर्क मीटिंग्स में विभिन्न विचार-विमर्शों के दौरान इस बात पर भी चर्चा की गई कि सामान्य ढांचे को स्तर 1 से 8 के एकीकृत पैमाने के अनुरूप होना चाहिए, जिस पर आम तौर पर विभिन्न हितधारकों द्वारा सहमति व्यक्त की गई है।

एनएसक्यूसी की 16वीं बैठक में भी इस पर चर्चा की गई थी जहां यह उल्लेख किया गया था कि जब तक यूनिफाइड क्रेडिट फ्रेमवर्क अधिसूचित नहीं हो जाता, तब तक इन मसौदा मानकों को एनएसक्यूएफ संरेखण और अर्हता के अनुमोदन के लिए संदर्भित किया जाएगा और चूंकि ये पैरामीटर अभी भी विकसित चरण में हैं, सुधार के लिए इस पर विचार करने के लिए कोई भी सुझाव एनसीवीईटी के साथ साझा किया जा सकता है। एनसीवीईटी यूनिफाइड क्रेडिट फ्रेमवर्क के तहत इन स्तरों (1 से 8) को अपनाने के लिए लेवल डिस्क्रिप्टर और अन्य विवरणों पर भी काम कर रहा है। एनएसक्यूसी ने प्रस्तावित यूनिफाइड क्रेडिट फ्रेमवर्क के अनुरूप एनएसक्यूएफ स्तर 1 से 8 को अपनाने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी भी दी।

**परिषद ने एनसीवीईटी के प्रयासों की सराहना की और उपरोक्त प्रस्तावों को 'सैद्धांतिक रूप से' अनुमोदन प्रदान किया।**

## **10. कार्यसूची मद सं. सी0510: सभी अर्हताओं में कॉमन एनओएस के रूप में रोजगार क्षमता (ईएस) जोड़ा जा रहा है।**

परिषद को अवगत कराया गया कि एनसीवीईटी सभी अवार्डिंग बॉडीज को यह सुनिश्चित करने के प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है कि एनएसक्यूएफ संरेखण और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जा रही नौकरी की भूमिका प्रकृति में समग्र है और प्रशिक्षुओं को कार्यसूची नोट में सूचीबद्ध पर्याप्त रोजगार क्षमता (ईएस) प्रदान करके गतिशील उद्योग की जरूरतों को पूरा करना चाहिए।

परिषद को आगे बताया गया कि डॉ विनीता अग्रवाल, कार्यकारी सदस्य, एनसीवीईटी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जो 120 घंटे (आमतौर पर स्तर 6,7 और 8 के लिए शामिल किया जाना है) के साथ, 90 घंटे (आमतौर पर स्तर 4,5 और 6 के लिए शामिल किए जाने के लिए), 60 घंटे (सामान्य रूप से स्तर 3, 4 और 5 और इससे ऊपर के लिए शामिल किए जाने के लिए) और 30 घंटे (सामान्य रूप से स्तर 1, 2, और 3 के लिए शामिल किए जाने के लिए) सभी अवार्डिंग बॉडीज के अलग-अलग अनुमानित घंटों की सभी नौकरी भूमिकाओं को पूरा करने के लिए इस तरह के सामान्य क्षैतिज एनओएस के लिए ई-सामग्री और शिक्षण की सामग्री (डिजिटल और

भौतिक) के साथ- साथ मॉड्यूल के साथ रोजगार क्षमता कौशल पर मानक एनओएस तैयार करेगा और इसे प्रस्तुत करेगा। इन ईएस को प्रत्येक एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित अर्हता में उचित रूप से जोड़ा जाएगा।

परिषद को आगे बताया गया कि मौजूदा अर्हता के लिए अवार्डिंग बॉडीज ऊपर बताए अनुसार अभ्यास करेंगी और संशोधित क्यूएफ को एनक्यूआर पर अपलोड करने के लिए एबी द्वारा एनसीवीईटी को प्रस्तुत किया जाएगा। एनसीवीईटी यह सुनिश्चित करेगा कि एनक्यूआर पर अपलोड करने से पहले अनुमोदित मानदंडों से कोई बड़ा विचलन न हो।

एनएसक्यूसी ने अपनी पिछली बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एनएसक्यूसी द्वारा आगे यह निर्णय लिया गया कि उपलब्ध कम समय को देखते हुए आगे के तौर-तरीकों पर काम किया जा सकता है और एनएसक्यूसी द्वारा इसकी पुष्टि के लिए अध्यक्ष के अनुमोदन से अंतिम रूप दिया जा सकता है।

श्री अतुल तिवारी ने कहा कि इस समिति द्वारा क्षेत्रों में पहले से मौजूद बेंचमार्क कौशल को भी ध्यान में रखा जा सकता है, जिस पर सभी सदस्यों ने सहमति व्यक्त की।

**परिषद ने इस पर संज्ञान लिया और उपरोक्त प्रस्ताव को 'सैद्धांतिक रूप से' अनुमोदन प्रदान किया।**

#### **11. कार्यसूची मद सं. सी0511: सभी मौजूदा डीजीटी अर्हता (149 सीटीएस और 54 सीआईटीएस पाठ्यक्रम) का पुनर्गठन।**

परिषद को अवगत कराया गया कि डीजीटी वर्तमान में 149 सीटीएस और 54 सीआईटीएस पाठ्यक्रमों को करा रहा है जो देश भर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से विभिन्न ट्रेडों के तहत लागू किए जा रहे एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित अर्हताएं हैं। 1 वर्ष और 2 वर्ष की अवधि के सीटीएस/सीआईटीएस पाठ्यक्रम वर्तमान में डीजीटी द्वारा प्रत्येक वर्ष में 1600 अनुमानित घंटों के साथ पेश किए जा रहे हैं। एमएसडीई और डीजीटी के साथ चर्चा कर इन अर्हताओं के लिए एक पुनर्गठन अभियान चलाया गया है। तदनुसार, डीजीटी ने इन अर्हताओं के पुनर्गठन और युक्तिकरण के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

एनएसक्यूसी की 16वीं बैठक में भी इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी। एनएसक्यूसी ने सभी 149 सीटीएस पाठ्यक्रमों और 54 सीआईटीएस पाठ्यक्रमों के पुनर्गठन और युक्तिकरण के लिए डीजीटी के प्रस्ताव को "सैद्धांतिक" अनुमोदन प्रदान किया, जो कार्यसूची में विस्तृत शर्तों के अधीन है, विशेष रूप से निम्नलिखित है :

- क) इन अर्हताओं के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम भी पाठ्यक्रमों को और अधिक कुशल बनाने के लिए डीजीटी द्वारा एनओएस / सीखने के परिणाम के आधार पर पुनर्गठित / पुनर्गठित किया जाएगा ताकि सीखने के 1200 घंटों के भीतर आज के पाठ्यक्रम में

शामिल सभी विषयों को उपरोक्त डीजीटी द्वारा इंगित लाइनों के अनुरूप कवर किया जा सके।

- ख) पुनर्गठन करते समय, सिद्धांत और डोमेन सीखने में कटौती / समझौता नहीं किया जाएगा, हालांकि, जहां भी संभव हो, दोहराव को हटा दिया जाएगा।
- ग) चार (4) महीनों के भीतर, सीटीएस पाठ्यक्रमों की सभी अर्हताओं को एनओएस के अनुरूप बनाया जाएगा और उपरोक्त पैराग्राफों में बताए अनुसार अवधि/घंटों के ब्रेक-अप को संशोधित किया जाएगा।
- घ) डीजीटी इन पंक्तियों पर संशोधित योग्यताओं को लाने के लिए काम करेगा ताकि वास्तव में पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले इन्हें एनक्यूआर पर रिकॉर्ड और अद्यतन करने के लिए एनसीवीईटी में लाया जा सके।
- ङ) डीजीटी प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) सहित पुनर्गठन अभ्यास करते समय उद्योग, एसएससी और अन्य पुरस्कार देने वाले निकायों के साथ सहयोग करेगा।
- च) इस संबंध में किसी भी और संशोधन / सुधार और संरेखण के लिए एनसीवीईटी / एनएसक्यूसी के किसी भी अवलोकन को डीजीटी द्वारा विधिवत संबोधित और अनुपालन किया जाएगा।
- छ) डीजीटी एक वचनबद्धता प्रस्तुत करेगा कि संशोधित अर्हताएं एनसीवीईटी दिशानिर्देशों और अन्य शर्तों के अनुरूप हैं, जिसमें ऊपर उल्लिखित प्रस्तावित यूसीएफ के साथ संरेखण शामिल है।

एनएसक्यूसी ने डीजीटी से अगले चार (04) महीनों में, यानी 2022 में अगले सत्र की शुरुआत से पहले एनसीवीईटी पर विचार करने के लिए अपने सभी पाठ्यक्रमों के पुनर्गठन और युक्तिसंगत बनाने का अनुरोध किया। एनएसक्यूसी ने सभी एसएससी और अवार्डिंग बॉडीज से डीजीटी को आवश्यक सहायता प्रदान करने का भी अनुरोध किया।

श्री अतुल तिवारी, डीजी, डीजीटी ने परिषद को सूचित किया कि एक कार्य योजना तैयार की जा रही है और इसे शीघ्र ही एनसीवीईटी को प्रस्तुत किया जाएगा। अध्यक्ष ने डीजी, डीजीटी की सक्रिय और त्वरित प्रतिक्रिया की सराहना की। उन्होंने आगे डीजी, डीजीटी को मौजूदा पाठ्यक्रमों का विश्लेषण करने की सलाह दी, जिनमें योग्यता की संख्या न के बराबर है जैसे कि 06 महीने की पाठ्यक्रम अवधि के साथ 8वीं पास केवल 1 अर्हता है, 02 साल की पाठ्यक्रम अवधि के साथ 8वीं पास में केवल 01 अर्हता है। उन्होंने डीजी डीजीटी को ऐसी अर्हताओं को युक्तिसंगत बनाने और अन्य अर्हताओं के साथ विलय करने की सलाह दी।

अध्यक्ष ने आगे अर्हताओं को एनओएस आधारित बनाने की दिशा में काम करने में डीजीटी के प्रयासों की सराहना की, जिससे मानकीकरण, अधिक अंतर्राष्ट्रीय समानता और कौशल, री-स्किलिंग और अप-स्किलिंग के लिए नई अर्हताओं के निर्माण में आसानी होगी।

परिषद ने इसका संज्ञान लिया और उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।

## 12. कार्यसूची मद सं. सी0512: गतिशील अर्हता की अवधारणा का कार्यान्वयन

12.1 परिषद को अवगत कराया गया कि बजट भाषण में, माननीय वित्त मंत्री ने प्रतिबद्ध किया है कि राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क को गतिशील उद्योग की जरूरतों और कौशल और आजीविका के लिए डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के साथ जोड़ा जाएगा, डीईएसएच (देश) स्टैक ई-पोर्टल लॉन्च किया जाएगा जिसका उद्देश्य है ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से नागरिकों को स्किलिंग, री-स्किलिंग और अप-स्किलिंग के साथ सशक्त बनाना।

12.2 इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एनसीवीईटी पहले से ही निरंतरता के आधार पर राष्ट्रीय अर्हता रजिस्टर (एनक्यूआर) में मौजूदा 5000 से अधिक एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित कौशल अर्हता पर फिर से विचार और पुनर्मूल्यांकन और पुनः निरीक्षण कर रहा है। यह एसएससी, अन्य अवार्डिंग बॉडीज और उद्योग निकायों के सहयोग से सक्रिय अर्हताओं को फिर से उन्मुख करने की दृष्टि से किया जा रहा है ताकि उत्पादकता बढ़ाने और अधिक बेहतर गुणवत्ता वाली नौकरियां सृजन करने के लिए निरंतर कौशल, पुनः कौशल और अप-स्किलिंग, स्थिरता और रोजगार क्षमता को बढ़ावा दिया जा सके। एनसीवीईटी सभी अवार्डिंग बॉडीज को डिजिटलीकरण और स्वचालन के युग में उपयोग किए जाने वाले मूल कौशल जैसे एआई, ब्लॉक-चेन, आईओटी, ड्रोन, उद्योग 4.0 और उससे आगे आदि को लाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, साथ ही हर नौकरी की भूमिका में, जहां आवश्यकता हो, 21वीं सदी के डिजिटल कौशल को एकीकृत करता है।

12.3 परिषद को आगे बताया गया कि अवार्डिंग बॉडीज को अपने मौजूदा एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित अर्हता में वैकल्पिक एनओएस जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसके लिए अवार्डिंग बॉडीज अनिवार्य एनओएस के अलावा, एनएसक्यूसी के अनुमोदन के लिए केवल अतिरिक्त वैकल्पिक एनओएस ला सकते हैं या तो एक ही अनुमानित घंटों के भीतर या उससे अधिक मौजूदा अनुमानित घंटे के भीतर। पहले से अनुमोदित पूर्ण अर्हता लाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

12.4 परिषद को आगे बताया गया कि एनएसक्यूसी ने पहले ही गैर-अनिवार्य एनओएस (20% में अर्हता को अपनाने के दौरान किए गए कोई भी बदलाव शामिल हैं) में 20% लचीलेपन के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है जिसे निम्नलिखित के अधीन पहले से ही एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित अर्हताओं को लागू करते समय अवार्डिंग बॉडीज को अनुमति दी जा सकती है:

- क. अवार्डिंग बॉडीज अनिवार्य एनओएस (सामान्य रूप से अनुमानित घंटों के 60% से कम नहीं) और गैर-अनिवार्य एनओएस को स्पष्ट रूप से परिभाषित करेगा। यदि संबंधित

अवार्डिंग बॉडीज द्वारा कोई अनिवार्य एनओएस परिभाषित नहीं किया गया है तो प्रस्तावित परिवर्तन के लिए एनएसक्यूसी के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

- ख. अनिवार्य एनओएस के भीतर 10% संशोधन (केवल परिवर्धन) की भी अनुमति होगी। अर्हता बैच शुरू करने से पहले गैर-अनिवार्य एनओएस/वैकल्पिक एनओएस में बदलाव किए जाएंगे।
- ग. अन्य अवार्डिंग बॉडीज से अर्हता को अपनाने के लिए अर्हता को अपनाने के दौरान पहले से ही 20% लचीलापन प्रदान किया जाता है जिसके लिए विस्तृत दिशानिर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।
- घ. विशेष नौकरी की भूमिका की अनुकूलित आवश्यकताओं के अनुरूप अतिरिक्त वैकल्पिक एनओएस जोड़ना।
- ङ. अर्हता में कोई भी प्रवेश करने से पहले ऐसे सभी परिवर्तनों को उचित रूप से प्रलेखित किया जाएगा और एनक्यूआर को अद्यतन करने के लिए एनसीवीईटी को प्रस्तुत किया जाएगा।
- च. इन संशोधनों को उसी अर्हता के संस्करण के रूप में माना जाएगा और अद्यतन किया जाएगा। एनक्यूआर पर अपलोड होने के बाद मूल्यांकन एजेंसियों को भी संशोधनों के बारे में सूचित किया जाएगा क्योंकि मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा ऐसी अर्हताओं का उचित मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए यह अभ्यास आवश्यक है।

12.5 परिषद को आगे बताया गया कि एनएसक्यूसी ने सभी अवार्डिंग बॉडीज से अगले छह महीनों में कुशल युवाओं/भारत के कार्यबल की अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति में सुधार के लिए अंतरराष्ट्रीय मांग और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्किलिंग, री-स्किलिंग और अपस्किलिंग पर कम से कम 4-5 अर्हता विकसित करने का अनुरोध किया है।

**परिषद ने इसका संज्ञान लिया और उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।**

**13. कार्यसूची मद सं. सी0513: इंजीनियरिंग कॉलेज पॉलिटेक्निक में एनएसक्यूएफ संरेखित वीडि अर्हता का आयोजन।**

13.1 परिषद को इस बात से अवगत कराया गया कि एआईसीटीई ने अपने पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों के साथ अधिशेष अवसंरचना के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 'केएआरएमए (कर्मा)' परियोजना शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य स्किलिंग इकोसिस्टम के भीतर पर्याप्त अवसंरचना की कमी के मुद्दे को काफी हद तक संबोधित करना है जो कि गुणवत्तापूर्ण कौशल पहल के कार्यान्वयन के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय रहा है। इस संबंध

में, एआईसीटीई ने एनसीवीईटी के सहयोग से सभी 37 एसएससी के साथ कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं ताकि उन्हें पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रशिक्षण / इंटरनशिप मोड में उच्च एनएसक्यूएफ स्तर की अपनी अर्हता चलाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

13.2 परिषद को आगे सूचित किया गया कि एनएसक्यूसी की 16वीं बैठक में उपरोक्त कार्यसूची मद पर भी चर्चा की गई थी, जिसमें एआईसीटीई और सभी एसएससी को अवार्डिंग बॉडीज के प्रयासों की सराहना की गई थी।

परिषद ने उद्योग और संस्थानों के सहयोग से कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अवार्डिंग बॉडीज के रूप में एआईसीटीई, एनसीवीईटी और सभी एसएससी के प्रयासों पर संज्ञान लिया और उनकी सराहना की, और समग्र रूप से स्किलिंग इकोसिस्टम के लिए कार्यक्रम के लाभों को भी स्वीकार किया।

#### **14. कार्यसूची मद सी0514: मौजूदा एनसीवीईटी प्रमाणपत्र और नए प्रमाणपत्र मानदंडों में संशोधन और डिजाइन सुधार।**

14.1 परिषद को मौजूदा एनसीवीईटी प्रमाणपत्र और नए प्रमाणपत्र मानदंडों में संशोधन और डिजाइन सुधार की स्थिति से अवगत कराया गया। परिषद को आगे बताया गया कि एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित अर्हता के लिए समान एनसीवीईटी प्रमाणपत्र टेम्पलेट मूल रूप से स्वीकृत और अक्टूबर 2020 में लॉन्च किया गया था। एनसीवीईटी ने एमएसडीई और कौशल पारिस्थितिकी तंत्र से प्राप्त फीडबैक के आधार पर मौजूदा स्वीकृत एनसीवीईटी प्रमाणपत्र प्रारूप की समीक्षा की है।

अब यह महसूस किया गया है कि चूंकि प्रमाण पत्र को कई अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता है, जैसे कि स्किल इंडिया लोगो को शामिल करना, पूर्व शिक्षा (आरपीएल), स्किल हब पहल, स्कूल बोर्ड और नियमित / मानक प्रशिक्षण के लिए जारी किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की मान्यता के तहत लागू किया जा रहा है।, इसके डिजाइन को फिर से देखा जाना चाहिए।

14.2 तदनुसार, एनएसडीसी को एनसीवीईटी द्वारा कुछ संशोधनों को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें उपर्युक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रमाणपत्रों के लिए डिजाइन में सुधार शामिल है। एनएसडीसी से अनुरोध किया गया है कि वे बताए गए प्रमाणपत्रों में बदलाव करें और अनुमोदन के लिए एनसीवीईटी को प्रस्तुत करें और व्याख्यात्मक नोटों के साथ पारिस्थितिकी तंत्र को जारी करें।

14.3 इस मद पर एनएसक्यूसी की 16वीं बैठक में भी चर्चा की गई जिसमें मौजूदा एनसीवीईटी प्रमाणपत्र में संशोधन और डिजाइन सुधार की आवश्यकता को स्वीकार किया गया और एनएसडीसी को

समिति की समीक्षा के लिए अगली एनएसक्यूसी बैठक में विभिन्न डिजाइन और प्रारूप रखने की सलाह दी गई।

परिषद ने इस पर संज्ञान लिया और उन्होंने यह इच्छा जाहिर की कि वांछित प्रारूपों की पुष्टि के लिए परिषद की अगली बैठक में रखा जाए।

#### **15. कार्यसूची मद सं. सी0515: एनएसक्यूएफ संरेखण और अनुमोदन के लिए योग्यता की व्यापक समीक्षा और मानकीकरण**

15.1 परिषद को अवगत कराया गया था कि एनसीवीईटी ने अर्हता के विभिन्न मापदंडों जैसे नामकरण, सीखने के घंटे / अनुमानित घंटे, एनएसक्यूएफ स्तर, प्रवेश स्तर मानदंड, अप-स्किलिंग घंटे आदि के संदर्भ में विविधताओं / जटिलताओं / असमानताओं / गैर-मानक सम्मेलनों को दूर करने के लिए एक व्यापक अभ्यास किया और प्रस्तावित एकीकृत क्रेडिट फ्रेमवर्क के साथ अर्हता मानकों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। स्कूली शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा के साथ कौशल शिक्षा के निर्बाध एकीकरण और शिक्षार्थियों/छात्रों की क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गतिशीलता के लिए इन सभी मापदंडों को मानकीकृत और युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता है।

15.2 उपर्युक्त मुद्दों को समाधान करने के लिए, एनसीवीईटी ने मौजूदा अर्हता मानकों को सरल, सुव्यवस्थित, मानकीकृत और बेहतर बनाने के लिए एक व्यापक अभ्यास किया, उन्हें एकीकृत क्रेडिट फ्रेमवर्क में संरेखित किया और कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न अवार्डिंग बॉडी द्वारा उन्हें अधिक अनुकूलनीय बनाया। यूनिफाइड क्रेडिट फ्रेमवर्क मीटिंग्स में विभिन्न विचार-विमर्शों में इस बात पर भी चर्चा की गई थी कि सामान्य ढांचे को स्तर 1 से 8 के अनुरूप होना चाहिए, जिस पर आम तौर पर विभिन्न हितधारकों द्वारा सहमति व्यक्त की गई है।

15.3 तदनुसार, प्रवेश/प्रवेश अर्हता आवश्यकताओं (प्रासंगिक अनुभव सहित), अनुमानित घंटे, शिक्षुता/ओजेटी और नामकरण परंपरा आदि के संदर्भ में एनएसक्यूएफ स्तरों के संबंध में मानकीकृत और युक्तियुक्त मानदंड कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में अपनाने के लिए एकीकृत ऋण ढांचे के प्रस्तावित प्रावधान के अनुरूप विकसित किए गए हैं।

15.4 इस मद पर एनएसक्यूसी की 16वीं बैठक में भी चर्चा की गई थी जहां यह उल्लेख किया गया था कि जब तक एकीकृत क्रेडिट फ्रेमवर्क अधिसूचित नहीं हो जाता, तब तक इन मौजूदा मानकों को एनएसक्यूएफ संरेखण और अर्हता के अनुमोदन के लिए संदर्भित किया जाएगा और चूंकि ये पैरामीटर अभी भी विकसित होने के चरण में हैं (जो अभी भी हैं) एनसीवीईटी द्वारा यूसीएफ की आवश्यकताओं/आवश्यकता के आधार पर युक्तिसंगत बनाया जा रहा है), सुधार के लिए किसी भी सुझाव को एनसीवीईटी के साथ साझा किया जा सकता है। साथ ही एनसीवीईटी यूनिफाइड क्रेडिट फ्रेमवर्क के तहत इन स्तरों (1 से 8) को अपनाने के लिए लेवल डिस्क्रिप्टर और अन्य विवरणों पर काम कर रहा है। एनएसक्यूसी ने इस पर ध्यान दिया और इस कार्रवाई को मंजूरी दी। एनएसक्यूसी ने प्रस्तावित यूनिफाइड क्रेडिट फ्रेमवर्क के अनुरूप एनएसक्यूएफ स्तर 1 से 8 को अपनाने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी भी दी।



परिषद ने उपरोक्त प्रस्ताव को 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया।

## 16. मदसूची मद सं. सी0516: एनक्यूआर पर सूचीबद्ध सभी एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित अर्हताओं की लेखापरीक्षा।

16.1 परिषद को इस बात से यह अवगत कराया गया था कि संबंधित अवार्डिंग बॉडीज के परामर्श से किसी भी डुप्लिकेट या गैर-सक्रिय/निष्क्रिय अर्हताओं को हटाने के उद्देश्य से एनक्यूआर पोर्टल पर सूचीबद्ध एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित अर्हताओं का लेखा परीक्षा करने के लिए एक अभ्यास किया गया था। तदनुसार, एनएसक्यूएफ के मौजूदा डेटा संरेखित और अनुमोदित अर्हता, शुरुआत से, सभी अवार्डिंग बॉडीज (चरण I में सेक्टर कौशल परिषद) के साथ उनके द्वारा एनक्यूआर डेटा के प्रमाणीकरण के लिए साझा किए गए थे और एनसीवीईटी को उन अर्हताओं के बारे में सूचित किया गया था जो वर्तमान में गैर-सक्रिय/संशोधित/हटाए गए और निष्क्रिय और/या संग्रहीत किए जाने की आवश्यकता है। डीजीटी और अन्य मौजूदा सरकारी पुरस्कार निकायों के संबंध में एनक्यूआर पर अर्हता का ऑडिट भी चरण II में किया जाएगा।

16.2 परिषद को सूचित किया गया था कि अब तक संबंधित एसएससी द्वारा कुल 859 अर्हताओं की सिफारिश की गई है क्योंकि पुरस्कार देने वाले निकायों को निष्क्रिय और संग्रहीत किया जाना है। जब कभी परिवर्तन के साथ या बिना परिवर्तन के निकायों को पुरस्कृत करने के लिए इन संग्रहीत अर्हताओं की आवश्यकता होगी, वे एनएसक्यूसी द्वारा इन पुरानी अर्हताओं के इस तरह के पुनः सक्रियण की आवश्यकता को प्रदर्शित करने वाले प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

16.3 परिषद को आगे यह बताया गया था कि एनक्यूआर पर कुछ डुप्लिकेट अर्हता (प्रत्येक संशोधन के बाद अनुमोदित कई संस्करणों के परिणामस्वरूप) की पहचान की गई थी जिसे रिकॉर्ड के लिए संग्रहीत किया जाएगा। कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में पहले से उपयोग की जा रही इन डुप्लिकेट/संग्रहीत अर्हताओं में से किसी की स्थिति में, संबंधित अवार्डिंग बॉडीज/एनएसडीसी/ और अन्य मान्यता प्राप्त/सरकारी निकाय उचित औचित्य के साथ अगले सात (07) दिनों के भीतर एनसीवीईटी का अनुरोध कर सकते हैं ताकि उचित कार्रवाई की जा सके। कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूदा प्रशिक्षुओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निर्दिष्ट अवधि के लिए ऐसी अर्हता को सक्रिय करने के लिए एनसीवीईटी द्वारा लिया जाना चाहिए। ऐसी अर्हताओं में किसी भी नए प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इस मद पर एनएसक्यूसी की 16वीं बैठक में चर्चा की गई थी और समिति ने सभी अवार्डिंग बॉडीज/एसएससी को सात (07) दिनों के भीतर डुप्लिकेट/निष्क्रिय अर्हताओं की सूची पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करने की सलाह दी है, जिसके बाद निर्दिष्ट की गई योग्यताओं को संग्रहीत किया जाएगा। डुप्लिकेट और संग्रहीत/निष्क्रिय की जाने वाली अर्हताओं की सूची एनसीवीईटी की वेबसाइट पर 16वीं एनएसक्यूसी की बैठक के कार्यवृत्त में देखी जा सकती है।

सूचनार्थ हेतु इस कार्यसूची को परिषद के समक्ष लाया गया और परिषद ने इस पर संज्ञान लिया।

**17. कार्य सूची मद सं. सी0517: जेएसएस कार्यक्रमों के लिए वैकल्पिक एनओएस के साथ लचीली अर्हता की अवधारणा का कार्यान्वयन - जेएसएस निदेशालय को अवार्डिंग बॉडीज और मूल्यांकन एजेंसी के रूप में दर्जा देना।**

17.1 परिषद को अवगत कराया गया कि जेएसएस निदेशालय ने एनएसक्यूएफ संरेखण और जेएसएस योजना के तहत चलाई जा रही सभी अर्हताओं के अनुमोदन के लिए एनसीवीईटी को सूचित किया है, जिसका उद्देश्य उस स्थानीय क्षेत्र में प्रासंगिक बाजार वाले कौशल की पहचान करके ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-साक्षर, नव-साक्षरों के साथ-साथ स्कूल छोड़ने वालों व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। जेएसएस का उद्देश्य आवश्यक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके ग्रामीण आबादी का आर्थिक रूप से उत्थान करना है, जिससे स्थानीय व्यापार क्षेत्र के मूल निवासियों के लिए नए रोजगार और सूक्ष्म व्यवसाय के अवसर पैदा करने में सक्षम हो सकें।

17.2 एमएसडीई के साथ एक विचार मंथन सत्र के दौरान इस तरह की पहल पर भी चर्चा की गई थी, जहां यह चर्चा की गई थी कि एनसीवीईटी डीजेएसएस को एनएसक्यूएफ स्तर 1 और 2 अर्हताओं में कौशल प्रदान करने के संबंध में अवार्डिंग बॉडीज और मूल्यांकन एजेंसी के रूप में सीमित दोहरी मान्यता प्रदान करने पर विचार कर सकती है। उन क्षेत्रों की विविध स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त लचीलापन जो वे योजनाओं की सेवा/कार्यान्वयन कर रहे हैं।

17.3 इन मदों पर एनएसक्यूसी की 16वीं बैठक में भी चर्चा की गई थी और एनएसक्यूसी के विचार के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को प्रस्तावित किया गया था और अनुमोदित किया गया था:

- क) डीजेएसएस एनक्यूआर पर मौजूदा अर्हताओं में से 1 और 2 स्तर के संरेखित और अनुमोदित अर्हताओं की पहचान और चयन कर सकता है जो जेएसएस योजना के तहत लक्षित लाभार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त हैं। इस प्रकार चुनी गई अर्हता मोटे तौर पर स्थानीय बाजार की मांग को पूरा करने के लिए हो सकती है और इससे लाभार्थी की आय में वृद्धि के लिए रोजगार / स्वरोजगार की ओर अग्रसर होना चाहिए।
- ख) आम तौर पर स्तर 2 पर अर्हता 240 घंटे की होगी जिसमें 180 घंटे के डोमेन कौशल, व्यावहारिक कौशल और 30 घंटे के रोजगार कौशल शामिल हैं। इस उद्देश्य के लिए, अर्हता के विकास के लिए मानदंड, अनिवार्य एनओएस सहित एक सामान्य सरलीकृत टेम्पलेट, स्थानीय आवश्यकता के अनुसार एनओएस चुनने के लचीलेपन के साथ, मूल्यांकन पद्धति, पाठ्यक्रम के लिए टेम्पलेट, पाठ्यक्रम आदि के तहत जन शिक्षण संस्थान निदेशालय द्वारा विकसित किया जाएगा। एनसीवीईटी का मार्गदर्शन और एनएसक्यूसी द्वारा अनुमोदित किया गया। जेएसएस अर्हता में ईएस एनओएस को शामिल करने के संबंध में, इसे लक्षित लाभार्थियों (और केवल एक बार एनएसक्यूसी द्वारा अनुमोदित किया गया है) के अनुरूप डीजेएसएस द्वारा उचित रूप से

संशोधित किया जा सकता है।

- ग) एक बार टेम्पलेट स्वीकृत हो जाने के बाद, डीजेएसएस स्थानीय जरूरतों के आधार पर डीजेएसएस के स्तर पर कई अर्हताएं तैयार करेगा और उन्हें जेएसएस के तहत पेश करेगा। ऐसी प्रत्येक अर्हता एनक्यूआर पर अपलोड करने के लिए एनसीवीईटी को प्रस्तुत की जाएगी। एनसीवीईटी यह सुनिश्चित करेगा कि योग्यता एनक्यूआर पर अपलोड करने से पहले उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुरूप हो।
- घ) जब तक डीजेएसएस यह सुनिश्चित न करता है और प्रमाणित न करता है कि अर्हता को मंजूरी देते समय एनएसक्यूसी द्वारा अनुमोदित टेम्पलेट्स और अन्य विनिर्देशों के अनुरूप अर्हता है, तबतक प्रत्येक अर्हता के लिए एनएसक्यूसी का अलग से अनुमोदन आवश्यक नहीं होगा।
- ङ) स्तर 3 और 4 की सभी अर्हताओं के लिए, केवल अवार्डिंग बॉडीज (एबी) के रूप में डीजेएसएस एनएसक्यूएफ संरेखित अर्हता विकसित करने और उन्हें अन्य अवार्डिंग बॉडीज के रूप में एनएसक्यूसी से अनुमोदित करने के लिए स्थापित तंत्र का पालन करेगा। साथ ही, जेएसएस को मूल्यांकन मानदंडों का पालन करना होगा जैसा कि एक मानक अवार्डिंग बॉडीज के लिए निर्धारित किया गया है यानी एनसीवीईटी से मान्यता प्राप्त मूल्यांकन एजेंसी के माध्यम से मूल्यांकन किया जा रहा है।
- च) डीजेएसएस को सीमित दोहरी मान्यता के लिए जल्द से जल्द एक सरकारी निकाय की श्रेणी के तहत एनसीवीईटी को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा। एनएसक्यूसी ने डीजेएसएस के प्रस्ताव पर विचार किया और उसे सैद्धांतिक मंजूरी दे दी।

परिषद ने इस पर ध्यान दिया और प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

**18. कार्यसूची मद सं. सी0518: स्किल हब इनिशिएटिव - स्किल हब इनिशिएटिव (एसएचआई) के तहत कुशल छात्रों/शिक्षार्थियों को मूल्यांकन करने और प्रमाण पत्र देने के उद्देश्य हेतु एनसीवीईटी द्वारा प्रतिबंधित मान्यता और नियमित मान्यता।**

18.1 परिषद को सूचित किया गया कि एमएसडीई ने एमओई के परामर्श से दिनांक 1 जनवरी 2022 से पायलट मोड पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 (पीएमकेवीवाई 3.0) के तहत स्किल हब इनिशिएटिव (एसएचआई) शुरू किया है। स्किल हब नोडल कौशल केंद्र हैं जिन्हें स्कूल के छात्रों (कक्षा 9 से 12वीं के छात्र), स्कूल छोड़ने वाले और शिक्षा से बाहर के उम्मीदवारों से लक्षित जनसंख्या क्षेत्रों को कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है। एसएचआई को एनएसडीसी के माध्यम से राज्य कौशल विकास मिशन (एसएसडीएम), राज्य की शिक्षा और जिला कौशल समितियों (डीएससीएस) के सहयोग से लागू किया जा रहा है।

18.2 परिषद को आगे बताया गया कि एजेंडा में उल्लिखित संस्थानों की भागीदारी के साथ शिक्षा और कौशल पारिस्थितिकी तंत्र से पायलट के लिए देश भर में लगभग 5000 ऐसे कौशल केंद्रों की पहचान की गई है। स्कूलों और उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) सहित विभिन्न संस्थान जो पहले से ही अपने संबंधित स्कूल शिक्षा/तकनीकी बोर्ड/विश्वविद्यालय के माध्यम से कौशल आधारित पाठ्यक्रमों की पेशकश कर रहे हैं, उन्हें एसएचआई को जमीन स्तर पर लागू करने में शामिल किया जाएगा।

18.3 इसलिए, एनसीवीईटी से अनुरोध किया गया है ताकि वे अपने संबंधित संस्थानों के लिए एसएचआई के तहत कौशल पाठ्यक्रमों के लिए मानकीकृत मूल्यांकन और प्रमाणन के लिए उन्हें अनुमति देने के उद्देश्य से राज्य और केंद्रीय शिक्षा बोर्डों, राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्डों और विश्वविद्यालयों, मूल्यांकन एजेंसियों (एए) और अवार्डिंग बॉडी (एबी) के रूप में एसएचआई में भाग लेने वाले संस्थानों को अधिकृत कर सके।

18.4 एनसीवीईटी सरकार की स्किल हब पहल के प्रभावी कार्यान्वयन को सक्षम करने के लिए आवश्यक विनियामक सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। स्किल हब इनिशिएटिव (एसएचआई) के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए, एनसीवीईटी ने कार्यसूची में उल्लिखित शर्तों के अधीन अपने संबंधित संबद्ध संस्थानों के लिए स्किल हब इनिशिएटिव (एसएचआई) के तहत एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित अर्हता को लागू करने के लिए अवार्डिंग बॉडीज और मूल्यांकन एजेंसियों के दिशानिर्देशों के प्रावधानों में कुछ छूट में एक सरल और त्वरित प्रक्रिया का पालन करके इच्छुक राज्य स्कूल शिक्षा बोर्डों और संबंधित राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्डों को **प्रतिबंधित मान्यता प्राप्त निकायों** का दर्जा देने पर विचार करने के लिए का प्रस्ताव रखा। उनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं :

- (क) ऐसी प्रतिबंधित मान्यता के लिए एनसीवीईटी द्वारा कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- (ख) इस तरह की प्रतिबंधित मान्यता केवल स्किल हब इनिशिएटिव (एसएचआई) के तहत कुशल होने वाले छात्रों / शिक्षार्थियों को मूल्यांकन और प्रमाण पत्र प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदान की जाएगी और केवल स्किल हब इनिशिएटिव एसएचआई कार्यक्रम के तहत कौशल कार्यक्रमों के मूल्यांकन और प्रमाणीकरण तक सीमित होगी।
- (ग) इस तरह के मान्यता प्राप्त निकाय छात्रों / शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करेंगे और सिर्फ राज्य स्कूल शिक्षा बोर्डों और राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्डों से संबद्ध संस्थानों में कौशल प्रशिक्षण पूरा करने वाले छात्रों / शिक्षार्थियों को इस उद्देश्य के लिए अनुमोदित मानक प्रारूपों में प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। मूल्यांकन अधिकार उक्त निकाय के संबद्ध संस्थानों के भीतर मूल्यांकन करने तक सीमित होंगे।
- (घ) इस तरह की प्रतिबंधित मान्यता इन मान्यता प्राप्त निकायों को मानदंडों के अनुसार स्तर 1 और स्तर 2 (सरलीकृत संस्करण) और एनएसक्यूएफ स्तर 3 तक एनएसक्यूएफ संरेखित अर्हता के लिए मूल्यांकन और प्रमाण पत्र प्रदान करने में सक्षम बनाती है।
- (ङ) प्रशिक्षण प्रदायगी, मूल्यांकन और प्रमाणन के संबंध में मानकों और गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, राज्य स्कूल शिक्षा बोर्डों और राज्य तकनीकी

शिक्षा बोर्डों की होगी।

18.5 एक बहुत ही सरल मान्यता आवेदन प्रारूप विशेष रूप से विकसित किया गया है **(अनुलग्नक III के रूप में संलग्न)**, जिसमें अवार्डिंग बॉडी (राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड और राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड) ऐसी सीमित मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। सभी राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड, राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड और राज्य सरकार के विश्वविद्यालय जो एनसीवीईटी को अवार्डिंग बॉडी / मूल्यांकन एजेंसी के रूप में पूर्ण नियमित मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अपनी अर्हता विकसित करने, एनएसक्यूएफ 4 (ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के इन-स्कूल छात्रों सहित) और उससे आगे स्तर के लिए छात्रों / शिक्षार्थियों को मूल्यांकन करने और प्रमाण पत्र प्रदान करने में सक्षम बनाते हैं, वे प्रतिबंधित मान्यता के समानांतर में दिनांक 5 दिसंबर 2018 के राजपत्र अधिसूचना संख्या एसडी-17/113/2017-ईएंडपीडब्लू के पैरा 16 और 19 के जनादेश के तहत तैयार किए गए अवार्डिंग बॉडीज की मान्यता और विनियमन के लिए एनसीवीईटी दिशानिर्देशों के अनुसार नियमित मान्यता के लिए एनसीवीईटी में आवेदन कर सकते हैं।

**परिषद ने इसका संज्ञान लिया और उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।**

### **19. कार्यसूची मद सं. सी0519: वीडिटी में मिश्रित प्रणाली शिक्षा के लिए दिशानिर्देश**

19.1 परिषद के समक्ष यह लाया गया कि भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020), उभरती नई प्रौद्योगिकियों के मददेनजर बदलती वैश्विक आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए डिजिटल शिक्षा को शामिल करके सभी शिक्षार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदायगी में सुधार पर जोर देती है। इसके अनुरूप और आज की तरह महामारी के परिदृश्य से निपटने के लिए, एनसीवीईटी ने मिश्रित प्रणाली शिक्षा पर मसौदा दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

19.2 मिश्रित प्रणाली शिक्षा औपचारिक (पारंपरिक कक्षा) और गैर-औपचारिक (ऑनलाइन) दोनों पद्धतियों का एक संयोजन है, अर्थात् पारंपरिक कक्षा के आमने-सामने अध्यापन-शिक्षण के साथ डिजिटल शिक्षण प्लेटफार्मों को संयोजन का शैक्षिक अभ्यास। व्यावसायिक कार्यक्रमों के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के एक अभिन्न अंग के रूप में प्रौद्योगिकी की शुरुआत से कार्यक्रम की उत्पादकता, दक्षता में वृद्धि होगी और अधिगम के लिए भौतिक उपस्थिति से संबंधित बाधाओं को दूर करने में मदद मिलेगी। ये दिशानिर्देश ऐसे उपकरण और कार्यप्रणाली का सुझाव देते हैं जिनका उपयोग व्यावसायिक प्रशिक्षण और शिक्षा के विभिन्न चरणों में किया जा सकता है। यह मिश्रण के प्रतिशत के सुझाव भी प्रदान करता है, जो विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं के लिए विभिन्न चरणों में हो सकता है।

19.3 मिश्रित प्रणाली शिक्षा पर दिशानिर्देश व्यावसायिक शिक्षा के लिए अधिगम के प्रमुख घटकों को संबोधित करते हैं, अर्थात्:

- क) व्यापार सिद्धांत / व्याख्यान / सैद्धांतिक / वैचारिक ज्ञान प्रदान करना,
- ख) सॉफ्ट स्किल्स / लाइफ स्किल्स / एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स / मेंटरिंग प्रदान करना,
- ग) व्यक्तिगत शिक्षार्थी का एलएमएस आधारित व्यक्तिगत प्रबंधन
- घ) शिक्षार्थियों के प्रदर्शन को दिखाना,
- ङ) व्यावहारिक कौशल / हाथों से काम करने का कौशल प्रदान करना,
- च) ट्यूटोरियल, असाइनमेंट, ड्रिल और अभ्यास,
- छ) कार्यशाला असाइनमेंट
- ज) मॉनिटरिंग/अनुमानित निगरानी
- झ) फॉर्मेटिव असेसमेंट / असेसमेंट,
- ञ) नौकरी प्रशिक्षण पर (ओजेटी),
- ट) इंटरनशिप, और
- ठ) शिक्षता प्रशिक्षण।

अन्य हितधारकों के साथ परामर्श के बाद दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

**परिषद ने इस पर संज्ञान लिया और इसे सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी।**

## **20. कार्यसूची मद सं. सी0520: अवार्डिंग बॉडीज द्वारा अर्हताओं को अपनाने के लिए दिशानिर्देश।**

20.1 परिषद को अवगत कराया गया कि अंगीकरण दिशानिर्देश व्यापक हितधारकों के परामर्श और टिप्पणियों के लिए सार्वजनिक डोमेन में मसौदा दिशानिर्देशों को रखने के बाद तैयार किए गए हैं। अंतिम "अवार्डिंग बॉडीज द्वारा अर्हता को अपनाने के लिए दिशानिर्देश" उपलब्ध हैं और एनसीवीईटी वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। ये दिशानिर्देश अपने प्रकृति में गतिशील हैं और इसलिए उद्योग/कौशल पारिस्थितिकी तंत्र की उभरती/गतिशील आवश्यकताओं और जरूरतों के अनुसार संशोधन/अद्यतन के अधीन हैं। तदनुसार, एनसीवीईटी अध्यक्षा के अनुमोदन से जब कभी आवश्यक हो, इन अंगीकरण दिशानिर्देशों में संशोधन/अद्यतन/संशोधन कर सकता है। परिषद के सदस्यों से यह भी अनुरोध किया गया था कि दिशानिर्देशों में सुधार के लिए कोई प्रतिक्रिया और सुझाव एनसीवीईटी के साथ साझा किया जा सकता है।

20.2 परिषद को यह अवगत कराया गया कि एनएसक्यूसी द्वारा दिनांक 24.02.2022 को आयोजित अपनी 16वीं बैठक में अंगीकरण दिशानिर्देशों को मंजूरी दी गई थी।

**परिषद ने इस पर संज्ञान लिया और इसे अनुमोदन प्रदान किया।**

## **21. कार्यसूची मद सं. सी0521: मल्टी स्किलिंग और क्रॉस-सेक्टरल स्किलिंग के विकास और कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश।**

21.1 परिषद को इस बात से अवगत कराया गया कि एनसीवीईटी द्वारा सेक्टर स्किल काउंसिल (एसएससी) के सीईओ और अन्य प्रमुख विषय विशेषज्ञों की समिति के परामर्श से मल्टीस्किलिंग और क्रॉस सेक्टरल स्किलिंग अर्हता के लिए दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं।

21.2 इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य बहु-कौशल और क्रॉस-क्षेत्रीय योग्यताओं के विकास की प्रक्रिया को रेखांकित करना है। यह मल्टीस्किलिंग और क्रॉस सेक्टरल स्किलिंग अर्हता के मामले में विकास जिम्मेदारियों और स्वामित्व को साझा करने के लिए निकायों और मूल्यांकन एजेंसियों को पुरस्कृत करने के अधिकारों, दायित्वों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है। यह सभी क्षेत्रों को प्रशिक्षण के लिए मल्टीस्किलिंग और क्रॉस सेक्टरल स्किलिंग अर्हता बनाने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। "मल्टीस्किलिंग और क्रॉस सेक्टरल स्किलिंग अर्हता" के लिए दिशानिर्देश एनसीवीईटी वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। एनसीवीईटी ने सभी एसएससी और अवार्डिंग बॉडीज को मल्टीस्किलिंग और क्रॉस सेक्टरल स्किलिंग के क्षेत्र में आने वाले 3 से 4 महीनों में प्रत्येक के लिए लगभग 8 से 10 अर्हता विकसित करने की सलाह दी है।

21.3 परिषद को यह अवगत कराया गया कि दिनांक 24.02.2022 को 16वीं एनएसक्यूसी में समिति के सदस्यों के समक्ष कार्यसूची भी प्रस्तुत किया गया था और समिति ने इस कार्रवाई की दिशा को मंजूरी दे दी है।

**परिषद ने इस पर संज्ञान लिया और इसे अनुमोदन प्रदान किया।**

## **22. कार्यसूची मद सं. सी0522: एनसीवीईटी के तहत मान्यता प्राप्त संस्थाओं और प्रशिक्षण निकायों के लिए शिकायत निवारण तंत्र पर अंतिम दिशानिर्देश।**

22.1 परिषद ने अपनी पिछली बैठक में सीपीजीआरएएमएस पोर्टल के साथ एकीकरण/प्लगिंग-इन की संभावना के बारे में चर्चा की थी, लेकिन सभी पक्षों और विपक्षों (ग्रामीण/गरीब पृष्ठभूमि के प्रशिक्षुओं सहित कौशल पारिस्थितिकी तंत्र की कई संस्थाओं के कामकाज) पर विचार करते हुए, यह निर्णय लिया गया था कि एनसीवीईटी में जीआरएम पर अलग दिशानिर्देश विकसित किए जाने की जरूरत है।

22.2 तदनुसार, एनसीवीईटी के तहत मान्यता प्राप्त संस्थाओं की शिकायतों के निवारण की एक प्रणाली बनाने और निगरानी करने के लिए, व्यापक हितधारकों के परामर्श करने के बाद शिकायत निवारण तंत्र पर दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया गया है और एनसीवीईटी वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

**परिषद ने इस पर संज्ञान लिया और इसकी पुष्टि की।**

## 23. कार्यसूची मद सं. सी0523: एनसीवीईटी के प्रशासनिक मामले।

23क) एनसीवीईटी में सलाहकारों की उच्च संख्या को संबोधित करने के लिए सलाहकारों / युवा पेशेवरों की भर्ती के लिए नीति आयोग के नए दिशानिर्देशों को अपनाना।

23.1 परिषद को अवगत कराया गया था कि एनसीवीईटी वर्तमान में अपने अनिवार्य कार्यों के सुचारु निर्वहन के लिए परामर्शदाताओं को नियुक्त करता है। पिछले एक साल में एनसीवीईटी में परामर्शदाताओं की एक बहुत ही उच्च दर का सामना करना पड़ा है, जिसका श्रेय प्रगति पथों की अनुपस्थिति, वार्षिक संविदाओं और एनसीवीईटी के बाहर बेहतर मुआवजे की पेशकश आदि को दिया जा सकता है। यह एनसीवीईटी के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और जिससे संस्थागत स्मृति, और ज्ञान पूंजी के नुकसान के साथ एनसीवीईटी द्वारा किए गए निवेश पर संसाधन की निकासी होता है।

23.2 उल्लिखित प्रतिबंधों को दूर करने के लिए, यह आवश्यक है कि परामर्शदाताओं को काम पर रखने के लिए मौजूदा एनसीवीईटी दिशानिर्देशों की समीक्षा की जाए। नीति आयोग के दिशानिर्देश परामर्शदाताओं और योंग पेशेवरों (वाईपी) को काम पर रखने के लिए एक बेंचमार्क और स्थापित मानक के रूप में कार्य करते हैं और अधिकांश केंद्रीय मंत्रालयों और सरकारी संगठनों द्वारा सलाहकारों / वाईपी को काम पर रखने के लिए उनके दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार करने के लिए अपनाया/संदर्भित किया जाता है। एनसीवीईटी ने पूर्व में इन दिशानिर्देशों के पुराने संस्करणों को भी अपनाया था। नीति आयोग ने अब 'परामर्शदाताओं/वरिष्ठ सलाहकारों/युवा पेशेवरों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया और दिशानिर्देश' दिनांक 07 दिसंबर 2021 को संशोधित किया है। ये दिशानिर्देश ऊपर व्यक्त समस्याओं के समाधान करते हैं और जिसके मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- (क) युवा पेशेवरों को काम पर रखने के प्रावधान के साथ परामर्शदाताओं को श्रेणी 1, श्रेणी 2 और वरिष्ठ परामर्शदाता के रूप में वर्गीकरण।
- (ख) शुरुआती संविदा 2 वर्षों का जिसे 5 वर्षों तक बढ़ाई जा सकती है, विस्तारित हर साल।
- (ग) वेतन संरचना ग्रेड के अनुसार।
- (घ) प्रदर्शन के अनुसार 0%, 5% या 10% की वार्षिक प्रोत्साहन राशि
- (ङ) 8 छुट्टी/वर्ष के मौजूदा प्रावधान के खिलाफ 18 छुट्टी/वर्ष

23.3 परिषद ने दिनांक 15 जून 2021 को आयोजित परिषद की तीसरी बैठक में कुल 24 ग्रेड -1 परामर्शदाताओं (15+9) की भर्ती के लिए पहले ही मंजूरी दे दी थी। हालांकि, यह प्रस्तावित किया गया था कि परामर्शदाताओं की भर्ती को संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नानुसार कार्यान्वित किया जाए:

| श्रेणी             | पदों की संख्या | नियत समय में                        |
|--------------------|----------------|-------------------------------------|
| वरिष्ठ परामर्शदाता | 01             | अगले भर्ती चक्र में काम पर रखा जाना |



|                     |           |  |
|---------------------|-----------|--|
| परामर्शदाता ग्रेड 2 | 03        | अगले भर्ती चक्र में काम पर रखा जाना            |
| परामर्शदाता ग्रेड 1 | 15*       | अगले भर्ती चक्रों में इसे घटाकर 10 किया जाएगा  |
| युवा पेशेवर         | 05        | अगले भर्ती चक्रों में इसे बढ़ाकर 10 किया जाएगा |
| <b>कुल</b>          | <b>24</b> |  |

\* वर्तमान में ग्रेड एक की सभी रिक्तियों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया गया है और साक्षात्कार 02 और 3 मार्च 2022 को आयोजित किया गया था। जब कभी ग्रेड 1 में रिक्तियां सृजित होंगी, 5 तक की रिक्तियां पेशेवर के ग्रेड में स्थानांतरित कर दी जाएंगी और इसलिए युवा पेशेवरों की अंतिम संख्या 10 होगी जबकि परामर्शदाता ग्रेड 1 की भी संख्या 10 होगी।

**प्रस्ताव पर विचार किया गया और परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया।**

### **23ख) एमएसडीई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर**

**23.4** परिषद को अवगत कराया गया था कि समझौता ज्ञापन दिनांक 06 जनवरी 2012 को एमएसडीई को अनुमोदन के लिए भेजा गया था। इसे आईएफडी, एमएसडीई की टिप्पणियों के साथ एनसीवीईटी को वापस कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि अधिकांश मापदंडों में परिणाम और डिलिवरेबल्स मात्रात्मक नहीं हैं। जहां कहीं संभव हो मात्रात्मक मानकों को शामिल किया गया है। एनसीवीईटी ने सभी टिप्पणियों को विधिवत संशोधित करते हुए एमएसडीई को एमओयू फिर से जमा कर दिया है और एमओयू की विधिवत अनुमोदित और हस्ताक्षरित प्रति की प्रतीक्षा है।

**परिषद ने इसका संज्ञान लिया।**

### **23 ग) वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट आवंटन**

**23.5** परिषद को अवगत कराया गया कि एमएसडीई ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एनसीवीईटी को 24.59 करोड़ रुपये के बजट प्रस्ताव के मुकाबले 20.24 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। चालू वित्त वर्ष (2021-22) के दौरान, एमएसडीई ने आरई के तहत 18 करोड़ रुपये फिर से आवंटित किए हैं और इस कार्यालय को एमएसडीई से 16 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। शेष राशि के रूप में 2 करोड़ रुपये जारी करने के लिए एमएसडीई को अनुरोध भेजा गया है।

**परिषद ने इसका संज्ञान लिया।**

**23 घ) एनसीवीईटी (खाता संख्या 1098101102359) और एनसीवीईटी परिषद के कोष (खाता संख्या 1098101104684) की ओर से चेक / पीएफएमएस पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं का संशोधित संकल्प**

**23.6** एनसीवीईटी के दोनों खातों में एनसीवीईटी की ओर से चेक/पीएफएमएस पर हस्ताक्षर करने के

लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के लिए संशोधित संकल्प परिषद के समक्ष निम्नानुसार प्रस्तावित किया गया था: -

- क. डीडीओ / उप निदेशक (वित्त), एनसीवीईटी 10,000/- रुपये (केवल दस हजार) तक पहले हस्ताक्षरकर्ता के रूप में
- ख. 2,50,000/- रु. (केवल दो लाख पचास हजार) तक के लिए निदेशक (ए&एफ), एनसीवीईटी और डीडीओ / उप निदेशक (वित्त), एनसीवीईटी के संयुक्त हस्ताक्षर।
- ग. 2,50,000/- रु. (केवल दो लाख पचास हजार) से अधिक के लिए निदेशक (ए&एफ), एनसीवीईटी और निदेशक (जीसी), एनसीवीईटी के संयुक्त हस्ताक्षर।

**परिषद ने उपरोक्त प्रस्ताव पर संज्ञान लिया और अनुमोदन प्रदान किया।**

### **23ड.) लेखाओं की लेखापरीक्षा का सुपुर्दगी**

23.7 परिषद को अवगत कराया गया था कि एनएसडीए/एनसीवीईटी के पिछले दो वर्षों यानी 2019-20 और 2020-21 के वार्षिक खाते सीएजी द्वारा संविधिक लेखापरीक्षा के लिए निर्धारित हैं। वित्त मंत्रालय से लेखापरीक्षा के लिए सौंपे गए पत्र प्राप्त न होने के कारण, लेखापरीक्षा अभी तक नहीं की गई थी। तब से पत्र वित्त मंत्रालय से प्राप्त हुआ है और लेखा परीक्षा नियत समय में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाएगी।

**परिषद ने इसमें हुई प्रगति पर संज्ञान लिया।**

### **23च) एनक्यूआर और एनसीवीईटी वेबसाइट के रखरखाव के लिए आईटी सेवाओं की आउटसोर्सिंग**

23.8 परिषद के सदस्यों को इस बात से अवगत कराया गया कि मौजूदा एनसीवीईटी और एनक्यूआर वेबसाइट में कई शुरुआती और कार्यात्मक समस्याएं हैं। एनसीवीईटी और एनक्यूआर वेबसाइट, नियत समय में विलय कर दी जाएगी और एनसीवीईटी के प्रस्तावित डिजिटल एंटरप्राइज पोर्टल का हिस्सा बन जाएगी और जब यह चालू हो जाएगी। एनसीवीईटी के डिजिटल एंटरप्राइज पोर्टल के विकास के लिए आरएफपी पहले ही मंगाई जा चुकी है और इसकी बिडिंग पूर्व बैठक भी आयोजित की जा चुकी है। पोर्टल के पूरी तरह से संचालित होने में लगभग एक वर्ष का समय लगेगा।

23.9 इसलिए, एनसीवीईटी और एनक्यूआर वेबसाइट के सुचारु और निर्बाध कामकाज को सक्षम करने के लिए यह प्रस्तावित किया गया था कि इन दो वेबसाइटों के डिजाइन / कार्यात्मक सुधार और दैनिक / नियमित रखरखाव को जीएफआर के प्रावधान के अनुसार ई-जीईएम के माध्यम से भुगतान आधार पर एक सक्षम एजेंसी को आउटसोर्स किया जाए।

23.10 आगे यह स्पष्ट किया गया कि इन दोनों एनक्यूआर और एनसीवीईटी वेबसाइटों को, एनसीवीईटी के प्रस्तावित डिजिटल एंटरप्राइज पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा, जब यह चालू हो जाएगा। एनसीवीईटी के डिजिटल एंटरप्राइज पोर्टल के विकास के लिए आरएफपी पहले ही मंगाई जा चुकी है

और बोली पूर्व बैठक भी आयोजित की जा चुकी है। आवश्यक धन राशि की उपलब्धता के अधीन पोर्टल के पूरी तरह से संचालन में लगभग एक वर्ष का समय लगेगा।

**परिषद ने इसे संज्ञान में लिया और प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।**

**24. अतिरिक्त कार्यसूची मद सं. सी0524: आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की इंटरनशिप योजना को अपनाना, जैसा कि राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित है।**

24.1 परिषद को इंटरन को काम पर रखने की नीति से अवगत कराया गया था जो भारत सरकार में विभिन्न संस्थानों और मंत्रालयों में एक अच्छी तरह से स्थापित प्रथा रही है। वर्तमान में बड़ी संख्या में मंत्रालय, सरकारी विभाग और संगठन छात्रों को उनके अंतर्निहित पारस्परिक लाभों के कारण इंटरनशिप का प्रस्ताव दे रहे हैं।

24.2 आगे यह भी बताया गया कि इंटरन विभिन्न अर्हताओं, दिशानिर्देशों और एनसीवीईटी द्वारा संचालित नीतियों पर मूल्यवान जानकारी प्रदान करके बहुत अधिक मूल्य जोड़ेंगे जैसा कि कार्यसूची में उल्लिखित है।

24.3 परिषद ने नोट किया कि आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय और भारत सरकार ने 25 फरवरी, 2019 के सं. ए-48011/21/2020/प्रशा. I और दिनांक 30 अप्रैल, 2021 के सं. ए-48011/21/2020/प्रशा. II के जरिये आर्थिक मामलों के विभाग की इंटरनशिप योजना के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। **(अनुलग्नक IV के रूप में संलग्न)।**

वित्त मंत्रालय की इंटरनशिप आमतौर पर छह महीने तक चलती है और इंटरन को 10,000 रुपये का वृत्तिका दिया जाता है।

24.4 राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) में इंटरनशिप के लिए आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी उपर्युक्त दिशानिर्देशों को उपयुक्त रूप से संशोधित और अपनाने के द्वारा परिषद को ऐसी इंटरनशिप की पेशकश करने का प्रस्ताव दिया गया था। **(अनुबंध V के रूप में संलग्न)**

24.5 इसके अलावा, उपयुक्त संशोधनों में यह प्रस्तावित किया गया था कि शुरू में इंटरन की संख्या छह महीने की अवधि के लिए अधिकतम 10 भुगतान किए गए इंटरन तक सीमित होगी। हालांकि, अध्यक्ष अपने द्वारा तय किए गए तात्कालिकता या महत्व के किसी अन्य क्षेत्र के लिए अतिरिक्त भुगतान किए गए इंटरन की प्रतिनियुक्ति कर सकता है। इसके अलावा, पांच अतिरिक्त अवैतनिक इंटरन भी शीर्ष पर उन रैंकिंग में से चुने जा सकते हैं, लेकिन भुगतान किए गए इंटरनशिप के लिए नहीं चुने जा सकते हैं।

24.6 इन "इंटर्न" को एनसीवीईटी के भीतर विभिन्न कार्यक्षेत्रों के लिए एक्सपोजर दिया जाएगा और इन-हाउस डेटा और अन्य सूचनाओं के अनुभवजन्य संग्रह और संयोजन के माध्यम से नीति विकास और निष्पादन की प्रक्रिया को पूरक करने की उम्मीद की जाएगी। इंटर्नशिप समय-समय पर एनसीवीईटी द्वारा तय किए गए उम्मीदवारों की क्रेडिट के आधार पर होगी।

परिषद ने उचित विचार-विमर्श के बाद इंटर्न को काम पर रखने के लिए अनुबंध V में एनसीवीईटी के इंटर्नशिप दिशानिर्देशों को मंजूरी दी।

**25. अतिरिक्त कार्यसूची मद सं. सी0525: अवार्डिंग बॉडीज और मूल्यांकन एजेंसियों की मान्यता और विनियमन के लिए दिशानिर्देश पर स्पष्टीकरण।**

25.1 परिषद को सूचित किया गया था कि दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 को माननीय मंत्री, एमएसडीई द्वारा अवार्डिंग बॉडीज और मूल्यांकन एजेंसियों की मान्यता और विनियमन के लिए दिशानिर्देश शुरू किए गए थे और दिनांक 28/10/2020 के कार्यालय आदेश संख्या 22003/4/2020/एनसीवीईटी के तहत जारी किए गए थे। अवार्डिंग बॉडी असेसमेंट एजेंसी के रूप में मान्यता और दोहरी मान्यता के लिए एनसीवीईटी को प्रस्तुत किए गए आवेदनों की स्क्रीनिंग और जांच के पर आधारित, और पात्रता मानदंड और उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को अस्वीकार करने या वापस लेने के मामले में प्रोसेसिंग शुल्क की वापसी से संबंधित मामलों के सन्दर्भ में आवेदक संगठनों द्वारा उठाए गए प्रश्न के आधार पर, यह महसूस किया गया कि जारी दिशा-निर्देशों में सूचीबद्ध कुछ मापदंडों को और स्पष्ट करने की आवश्यकता है। प्रोसेसिंग शुल्क के संबंध में हालांकि दिशानिर्देशों में उल्लेख किया गया है कि एबी और ए के रूप में मान्यता के लिए शुल्क प्रत्येक के लिए 1,00,000 रुपये होगा, यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि एक निकाय के लिए दोहरी मान्यता (एबी और ए दोनों के रूप में) के लिए, यह स्वचालित रूप से 2,00,000 रुपये का शुल्क लगता है, इसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

25.2 उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, परिषद के विचार और अनुमोदन के लिए निम्नलिखित प्रस्तावित किए गए थे:

**25 क) आवेदन वापस लेने के मामले में मान्यता शुल्क का स्पष्टीकरण**

**25.3 अवार्डिंग बॉडीज दिशा-निर्देशों के खंड 3.6 - शुल्क**

एक अवार्डिंग बॉडी के रूप में मान्यता के लिए आवेदन करने वाली एक इकाई को एनसीवीईटी द्वारा निर्धारित चैनलों के माध्यम से 1,00,000/- (रु. 50,000/- अस्वीकृति के मामले में वापसी योग्य) रुपये की राशि जमा करने की आवश्यकता होगी। यह शुल्क मान्यता प्रक्रिया के चरण 2 में भरे हुए आवेदन पत्र और सहायक दस्तावेजों के साथ देय है।

उपरोक्त को इस प्रकार और स्पष्ट करने का प्रस्ताव किया गया था:

**अवार्डिंग बॉडीज दिशा-निर्देशों के खंड 3.6- एबी के रूप में मान्यता के लिए प्रोसेसिंग शुल्क**

एक अवार्डिंग बॉडीज के रूप में मान्यता के लिए आवेदन करने वाली एक संस्था को मानक अवार्डिंग बॉडी के रूप में मान्यता के लिए 1,00,000/- रु. और एनसीवीईटी द्वारा निर्धारित चैनलों के माध्यम से अवार्डिंग बॉडी (दोहरी श्रेणी) प्रदान करने के लिए रु. 2,00,000/- रुपये की राशि प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में जमा करनी होगी। आवेदक निकाय द्वारा प्रस्ताव को अस्वीकार करने या प्रस्ताव को वापस लेने की स्थिति में, इस राशि का केवल 50% ही वापस किया जाएगा। यह प्रोसेसिंग शुल्क मान्यता प्रक्रिया के चरण 2 में भरे हुए आवेदन पत्र और सहायक दस्तावेजों के साथ देय है।

**परिषद ने उचित विचार-विमर्श के बाद उपरोक्त प्रस्ताव को मंजूरी दी।**

#### **25.4 निर्धारण एजेंसियों के दिशा-निर्देशों के खंड 3.5 - मान्यता शुल्क:**

ए के रूप में मान्यता के लिए आवेदन करने वाली एक इकाई को केवल 1,00,000/- (रु. 50,000/- अस्वीकृति के मामले में वापसी योग्य) रुपये की मान्यता शुल्क का भुगतान करना होगा। यह शुल्क मान्यता प्रक्रिया के चरण 3 में भरे हुए आवेदन पत्र और सहायक दस्तावेजों के साथ देय है।

**उपरोक्त को और स्पष्ट करने का प्रस्ताव किया गया था:**

एक मूल्यांकन एजेंसी (एए) के रूप में मान्यता के लिए आवेदन करने वाली एक इकाई को एनसीवीईटी द्वारा निर्धारित चैनलों के माध्यम से मूल्यांकन एजेंसी (एए) के रूप में मान्यता के लिए 1,00,000/- रुपये की राशि प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में जमा करनी होगी। आवेदक निकाय द्वारा प्रस्ताव को अस्वीकार करने या प्रस्ताव को वापस लेने की स्थिति में, इस राशि का केवल 50% ही वापस किया जाएगा। यह प्रोसेसिंग शुल्क मान्यता प्रक्रिया के चरण 3 में भरे हुए आवेदन पत्र और सहायक दस्तावेजों के साथ देय है।

**परिषद ने उचित विचार-विमर्श के बाद उपरोक्त प्रस्ताव को मंजूरी दी।**

परिषद ने पुरस्कार देने वाली संस्थाओं और मूल्यांकन एजेंसियों के लिए वार्षिक मान्यता शुल्क की मात्रा (रु. 75,000/रु. 1,00,000/रु.2,00,000) पर भी विचार किया और निर्णय लिया कि एनसीवीईटी कुछ संबंधित हितधारकों की राय लेने के बाद इसका प्रस्ताव कर सकती है।

**25ख) प्रमुख/सीईओ/सीएक्सओ के दोहराव के मामले में स्पष्टीकरण या एबी/एए के रूप में एनसीवीईटी मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत कई प्रस्ताव**

#### **25.5 अवार्डिंग बॉडीज दिशा-निर्देशों के खंड 7 - शासन और जनशक्ति, बिंदु 4**

प्रमुख/सीईओ/सीओओ समानांतर व्यवसाय को बढ़ावा/चलाने नहीं देंगे जिससे इकाई के एबी संचालन के साथ हितों का टकराव हो सकता है।

उपरोक्त को इस प्रकार और स्पष्ट करने का प्रस्ताव किया गया था:

प्रमुख या सीईओ या सीएक्सओ हितों के टकराव की किसी भी संभावना से इंकार करने के लिए एबी या एए के रूप में एनसीवीईटी मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाली एक से अधिक संस्थाओं का प्रचार, प्रबंधन, संचालन या हिस्सा नहीं बनेंगे। इसी तरह, अवार्डिंग बॉडी के किसी भी स्थायी कर्मचारी को किसी अन्य आवेदक निकाय के हिस्से के रूप में नहीं दिखाया जाएगा। ऐसे मामलों में आवेदन खारिज किए जा सकते हैं।

उपरोक्त प्रस्ताव को परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था।

#### कार्यसूची 26: अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य बिंदु

26.1 अध्यक्ष ने परिषद को सूचित किया कि उन्होंने एनसीवीईटी को पहले ही सूचित कर दिया है और रिकॉर्ड में रखा है कि राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद के अध्यक्ष के रूप में शामिल होने से पहले वह निम्नलिखित निकायों से जुड़े रहे हैं:

- क) सदस्य बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), रोहतक, हरियाणा (मई 2020)
- ख) आईआईटी, एनआईटी और तकनीकी शिक्षा संस्थानों में भारतीय भाषाओं में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए सचिव, उच्च शिक्षा के तहत शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित सदस्य टास्क फोर्स। साथ ही, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारतीय भाषाओं में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से गठित समूह के सदस्य। (दिसंबर, 2020)
- ग) सदस्य वैज्ञानिक सलाहकार परिषद, सेंटर फॉर इनोवेशन एंड बायो डिज़ाइन (सीआईबीओडी), भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआर), चंडीगढ़ (युटी ) की एक पहल अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए और भारत में सस्ती स्वास्थ्य देखभाल प्रौद्योगिकियों के लिए नवाचार। (अक्टूबर 2019)
- घ) रुड़की विश्वविद्यालय (अब आईआईटी रुड़की) के पूर्व छात्रों के रूप में, पेशेवर और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण और सीखने में मदद करने के लिए, आईआईटी रुड़की पूर्व छात्र संघ, दिल्ली चैंप्टर और आईआईटी रुड़की हेरिटेज फाउंडेशन (आईआईटीआरएचएफ) के अध्यक्ष के रूप में अल्मा मीटर में योगदान करें। राष्ट्र निर्माण के लिए समृद्ध विरासत और परंपराएं।

26.2 आगे यह भी सूचित किया गया कि शिक्षा, अनुसंधान और राष्ट्र निर्माण से संबंधित गतिविधियों के साथ उपरोक्त संबंध विशुद्ध रूप से स्वैच्छिक, निःस्वार्थ और मानद प्रकृति के हैं। यह अध्यक्ष, एनसीवीईटी के रूप में उनके कर्तव्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा या अध्यक्ष एनसीवीईटी के रूप में उनके कार्यों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगा। अध्यक्ष एनसीवीईटी के रूप में वर्तमान कार्य के साथ

हितों का कोई टकराव नहीं है। साथ ही, यदि भविष्य में किसी भी समय किसी गतिविधि के साथ हितों का कोई टकराव उत्पन्न होता है, तो वह उससे हट जाएगा, परिषद ने उस पर संज्ञान लिया।

किसी की ओर से कोई और बात नहीं होने के कारण अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक को समाप्त घोषित कर दिया गया।

## प्रतिभागियों की सूची

### एनसीवीईटी परिषद

#### सदस्य:

| क्र. सं.                            | सदस्य का नाम                                | पदनाम  |
|-------------------------------------|---|--|
| 1                                   | डॉ. निर्मलजीत सिंह कलसी आईएएस सेवानिवृत्त   | अध्यक्ष, एनसीवीईटी   |
| 2                                   | डॉ. विनीता अग्रवाल, आईईएस सेवानिवृत्त       | कार्यकारिणी सदस्य, एनसीवीईटी   |
| 3                                   | डॉ. नीना पाहुजा                             | कार्यकारिणी सदस्य, एनसीवीईटी   |
| 4                                   | श्री. अतुल तिवारी आईएएस                     | अवर सचिव, एमएसडीई और मनोनीत सदस्य, एनसीवीईटी                           |
| 5                                   | श्री. राकेश रंजन आईएएस                      | अवर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, एमओई और गैर-कार्यकारी सदस्य, एनसीवीईटी    |
| 6                                   | श्री संजय कुमार आईएएस (उपस्थित नहीं हो सके) | अवर सचिव, एमएचयूए और गैर कार्यकारी सदस्य, एनसीवीईटी                    |
| 7                                   | श्री अमित कटारिया आईएएस                     | संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय और गैर कार्यकारी सदस्य, एनसीवीईटी |
| <b>उपस्थित एनसीवीईटी के अधिकारी</b> |   |  |
| 1                                   | कर्नल संतोष कुमार                           | सचिव प्रति परिषद और निदेशक नीति  |
| 2                                   | लेफ्टिनेंट कर्नल गुंजन चौधरी                | निदेशक मान्यता   |
| 3                                   | श्री सुशील अग्रवाल                          | निदेशक   |
| 4                                   | श्री, नरेंद्र सिंह,                         | निदेशक ए&एफ  |



एनसीवीईटी का समग्र विजन और मिशन

1. स्किलिंग का कार्यक्षेत्र और संकल्पना-

- क) न केवल स्कूल छोड़ने वाले, बल्कि यूजी / पीजी / पीएचडी स्तर की प्रवेश अर्हता के लिए उच्च स्तर का कौशल भी
- ख) यूजीसी/एआईसीटीई/स्कूल शिक्षा के लिए एकीकृत क्रेडिट फ्रेमवर्क स्तर की समानता अब पारिस्थितिकी तंत्र में स्वीकार्य है
- ग) स्किलिंग अर्हता तथा विकसित द्वारा उद्योग - एनसीवीईटी या कोई प्रशिक्षक/शिक्षक द्वारा नहीं

2. एनसीवीईटी - एक नये विनियामक के रूप में

- ☐ लाइट लेकिन टाइट रेगुलेशन - गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए प्रवर्तक के रूप में अधिक काम करना।
- ☐ खंडित विनियमों का सरलीकरण और अव्यवस्थित तरीके से समेकन।
- ☐ विनियमन में बहुत तर्कसंगत, लचीला और व्यावहारिक दृष्टिकोण, व्यावहारिक विकल्प देना।
- ☐ फॉरवर्ड लुकिंग, नए विचारों के लिए खुला, भविष्यवादी
- ☐ मान्यता प्राप्त निकायों (आरबी) द्वारा अधीनस्थ विनियमन और स्व-नियमन की अवधारणा
- ☐ एनएसक्यूएफ में लचीलापन और चपलता - उद्योग/बाजारों/अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की गतिशील जरूरतें
- ☐ बाजार संचालित, शुल्क आधारित कौशल जो उद्योग, नियोक्ताओं द्वारा मूल्यवान है।
- ☐ गुणवत्ता सुनिश्चित करने और अधिक वस्तुपरक निगरानी और पर्यवेक्षण के माध्यम से शिक्षार्थी/छात्रों के हितों की रक्षा करने के लिए आरबी के समग्र परिचालन लचीलेपन को मजबूत करने की आवश्यकताएं।
- ☐ सभी हितधारकों के साथ काम करने के लिए तैयार - अतिरिक्त दूर जाना: अन्य विनियामक, मंत्रालय, विभाग, राज्य उद्योग।
- ☐ रोजगार अर्हता कौशल (ईएस): सभी एनएसक्यूएफ अर्हताओं में सामान्य एनओएस के रूप में उन्हें समग्र/उद्योग उन्मुख बनाने के लिए
- ☐ निर्बाध एकीकरण शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के लिए एकीकृत ऋण संचय और हस्तांतरण ढांचा, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गतिशीलता के लिए प्रावधान, बहु प्रवेश और निकास मार्ग
- ☐ एआईसीटीई के सहयोग से इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक में और वीईटी के लिए

उच्च कौशल अर्हता को सक्षम करना

3. हितधारक के साथ प्रभावी ढंग से संप्रेषित किए जाने के लिए अब तक कौशल प्रयासों के डब्ल्यूओडब्ल्यू कारक - छात्रों, शिक्षार्थियों, उद्योग

4. अपने उद्देश्यों को पूरा करने, नियमों को सक्षम करने और कार्यों दोनों के लिए एनसीवीईटी की सक्षमता सुनिश्चित की जानी चाहिए

5. दिनांक 22 मार्च को एबी/अन्य हितधारकों के साथ बैठक

6. उद्योग संघों के साथ बैठक - अगले सप्ताह

## अनुलग्नक III

### कौशल केंद्र पहल के लिये सरलीकृत टेम्पलेट/ बुनियादी जानकारी प्रपत्र

#### कौशल हब पहल के तहत प्राधिकरण के लिए बुनियादी सूचना प्रपत्र

1. संगठन का नाम
2. संगठन का पूरा पता \_
3. नोडल व्यक्ति:
  - नाम
  - पदनाम
  - संपर्क का विवरण
4. संगठन (केंद्रीय मंत्रालय/ राज्य विभाग/स्कूल बोर्ड/ तकनीकी बोर्ड/सरकारी विश्वविद्यालय/ अन्य सरकारी निकाय) का प्रकार
5. संगठन की स्थापना की तिथि (पंजीकरण प्रमाणपत्र संलग्न करना, यदि लागू)
6. मौजूद कौशल विकास के सन्दर्भ में क्या कोई पूर्व अनुभव है, यदि हां, तो उसका विवरण दें:

| क्र. सं | क्षेत्र | राज्य | कुल प्रशिक्षण | कुल मूल्यांकन |
|---------|---------|-------|---------------|---------------|
|         |         |       |               |               |

7. एसएचआई संबंधित जानकारी
  - क) श्रेणी जिसके तहत आवेदन किया गया (मानक एबी / दोहरी एबी)
  - ख) संचालन का प्रस्तावित क्षेत्र
  - ग) प्रस्तावित क्षेत्र
  - घ) लागू की जाने वाली प्रस्तावित अर्हताएं
8. क्या संगठन के पास कौशल विकास गतिविधियों के संबंध में कोई उद्योग संबंध हैं। यदि हां, तो कृपया निर्दिष्ट करें।
9. कृपया स्पष्ट रिपोर्टिंग लाइनों के साथ कार्यात्मक संगठन के साथ-साथ प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए संगठन की शासन संरचना का विवरण प्रदान करें।
10. कृपया डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के लिए मौजूदा व्यवस्थाओं को निर्दिष्ट करें।
11. कृपया उपलब्ध कुल प्रशिक्षकों, मूल्यांकनकर्ताओं, विषय वस्तु विशेषज्ञों का विवरण प्रदान करें।
12. कृपया स्थानीय भाषा में विशेष रूप से प्रशिक्षण सामग्री की उपलब्धता का विवरण प्रदान करें।
13. कृपया भौगोलिक विवरण के साथ संबद्ध संस्थानों का विवरण, यदि कोई हो, प्रदान करें।

14. कृपया टीओटी/टीओए के लिए व्यवस्था निर्दिष्ट करें।
15. दोहरे एबी के रूप में आवेदन करने के मामले में, कृपया निम्नलिखित को निर्दिष्ट करते हुए पुरस्कार देने और मूल्यांकन समारोह के बीच फ़ायरवॉल व्यवस्था के बारे में विवरण प्रदान करें।
- कार्मिक प्रणाली और प्रबंधकीय नियंत्रण का पृथक्करण
  - वित्तीय संसाधनों का पृथक्करण

## अनुलग्नक IV

सं. ए-48011/21/2020-प्रशासन। IIए

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
आर्थिक मामलों का विभाग  
(प्रशासन प्रभाग)

\*\*\*\*\*

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली  
दिनांक 30 अप्रैल 2021

**विषय: वर्ष 2021-22 के लिए आर्थिक कार्य विभाग की इंटरनशिप योजना हेतु आवेदन पत्र के लिए आमंत्रण के संबंध में।**

आर्थिक मामलों का विभाग अपनी इंटरनशिप योजना के तहत वर्ष 2021-22 के लिए पूंजी विपणन, आर्थिक सुधार, विनिमय प्रबंधन, भारत में विदेशी निवेश और विदेशों में भारत निवेश, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, मुद्रास्फीति प्रबंधन, ऋण बाजार संचालन और ऋण प्रबंधन (बाहरी और घरेलू), लघु बचत, बजट दस्तावेजों का आधुनिकीकरण, द्विपक्षीय निवेश संधियां, बुनियादी ढांचा वित्तपोषण, आदि जैसे क्षेत्रों में असाइनमेंट के लिए आवेदन आमंत्रित करता है।

### डीईए इंटरनशिप योजना के लिए दिशानिर्देश

**2. आर्थिक मामलों का विभाग के इंटरनशिप योजना का विवरण नीचे दिया गया है:**

|          |  |
|----------|--|
| उद्देश्य | <ul style="list-style-type: none"><li>चयनित उम्मीदवारों को वृहद स्तर पर सरकार की आर्थिक नीतियों के निर्माण की समग्र प्रक्रिया से परिचित कराना।</li><li>देश द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख और विशिष्ट आर्थिक मुद्दे/समस्या में एक संक्षिप्त शोध जांच करने का अवसर प्रदान करना और उसके समाधान की पेशकश करना।</li></ul>   |
| पात्रता  | <ul style="list-style-type: none"><li>मानव अनुसंधान विकास मंत्रालय या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचे के अनुसार शीर्ष 25 रैंक के भीतर विश्वविद्यालयों / संस्थानों से स्नातकोत्तर या पीएचडी / अर्थशास्त्र / कानून / वित्त / प्रबंधन में उत्कृष्ट उम्मीदवार इंटरनशिप के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं।</li><li>यह कार्यक्रम स्नातक छात्रों के लिए नहीं है।</li><li>यह कार्यक्रम व्यापक आर्थिक, प्रबंधन, पूंजी बाजार, बुनियादी ढांचा नीति, जलवायु वित्त, वित्तीय और निवेश कानूनों से संबंधित विशिष्ट मुद्दों पर काम कर रहे पीएचडी या स्नातकोत्तर छात्रों के लिए है।</li></ul> |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| शोध के विषय                    | <p>डीईए इंटरनशिप एप्लीकेशन पोर्टल में सांकेतिक अनुसंधान विषयों की एक सूची उपलब्ध कराई जाएगी।</p> <p>छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे विशिष्ट शोध अध्ययन के अवसर प्रभाग के लिए आवेदन करें।</p> <p><b>जिन उम्मीदवारों के शोध प्रस्ताव और दक्षता डीईए आवश्यकताओं के साथ महत्वपूर्ण रूप से मेल खाते हैं, उन्हें वरीयता दी जाएगी।</b></p> |
| समयावधि                        | <p>इंटरनशिप की अवधि 3 महीने से कम नहीं होगी। कम से कम 6 महीने तक रहने का प्रस्ताव करने वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। चूंकि समय अवधि बहुत कम है, इसलिए कम समय में वांछनीय आउटपुट सुनिश्चित करने के लिए इंटरन को बहुत गहन अध्ययन करने की आवश्यकता होगी।</p>  |
| सांकेतिक पारिश्रमिक            | <p>पीजी के लिए प्रति प्रशिक्षु को टोकन पारिश्रमिक @ रु 10,000/- रु. और पीएचडी छात्र के लिए प्रति प्रशिक्षु 20,000 / रु. प्रति माह, इंटरनशिप के संतोषजनक समापन पर और उनकी रिपोर्ट / पेपर / फीडबैक जमा करने पर देय।</p>   |
| गोपनीयता की घोषणा              | <p>इंटरन को काम शुरू करने से पहले एक गैर-प्रकटीकरण करार पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी।</p>   |
| लॉजिस्टिक्स सपोर्ट(रसद समर्थन) | <p>इंटरन को आवश्यक लॉजिस्टिक्स सहायता, यानी कार्यालय स्थान और इंटरनेट सुविधा के साथ कंप्यूटर प्रदान किया जाएगा।</p>   |
| जुड़ाव                         | <p>इंटरन को विशेष रूप से एक संयुक्त सचिव/निदेशक/मुख्य कार्यालय/प्रधान आर्थिक सलाहकार के साथ जुड़े रहेंगे।</p>   |
| पेपर जमा करना                  | <p>इंटरन को इंटरनशिप के अंत में आवंटित विषय पर संबंधित विभाग के प्रमुख को एक रिपोर्ट / पेपर प्रस्तुत करना होगा। साथ ही, उन्हें संबंधित विभागाध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट/पेपर जमा करने पर कार्यक्रम के अपने अनुभव की प्रतिक्रिया देनी होगी।</p>  |
| इंटरनशिप का प्रमाणपत्र         | <p>इंटरन को कम से कम तीन महीने की इंटरनशिप के संतोषजनक रूप से पूरा करने और उनकी रिपोर्ट / पेपर फीडबैक / उपस्थिति प्रमाण पत्र जमा करने पर प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे।</p>   |
| आवेदन कैसे करें                | <p>इच्छुक और पात्र छात्र 3 से 6 महीने की अवधि के लिए डीईए वेबसाइट (मई-नवंबर स्लॉट के लिए) पर विज्ञापन के जवाब में, अपनी संस्था की सिफारिश के समर्थन में, अपनी रुचि व्यक्त करते हुए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभाग अपनी वेबसाइट पर इंटरन के लिए अपनी रुचि व्यक्त करने के लिए एक विशिष्ट आमंत्रण भी देता है।</p>                         |
| पदों की संख्या और चयन          | <p>ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदनों पर एक कमेटी द्वारा विचार किया जाएगा, जिसमें डीईए के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।</p> <p>विभाग किसी भी उम्मीदवार को इंटरनशिप देने के सभी अधिकार सुरक्षित रखता है। बिना कोई कारण बताए इंटरनशिप से इनकार किया जा सकता है।</p>  |

|        |  |
|--------|--|
|        | <p>इंटर्नशिप की संख्या अधिकतम 15 इंटर्न तक सीमित होगी।</p> <p>शीर्ष पर रैंकिंग में से दस अतिरिक्त अवैतनिक इंटर्न का भी चयन किया जा सकता है, लेकिन प्रदत्त इंटर्नशिप के लिए नहीं चुना जा सका।</p>                               |
| शर्तें | <p>इंटर्न से इस अवसर को गंभीरता से लेने की अपेक्षा की जाती है! इंटर्न, जिनका प्रदर्शन असंतोषजनक है, को समय से पहले कार्यमुक्त किया जा सकता है। आर्थिक मामलों के विभाग में इंटर्नशिप न तो नौकरी है और न ही ऐसा कोई आश्वासन।</p> |

आवेदक को वित्त मंत्रालय के एमओएफ-डीईए इंटर्न आवेदन लिंक ([https://mofapp.nic.in/DEA\\_Internship/Default.aspx](https://mofapp.nic.in/DEA_Internship/Default.aspx)) पर पंजीकरण करना चाहिए और अपने आवेदन में अपनी रुचि के क्षेत्र, तारीखों के साथ उपलब्धता की अवधि और वरीयता के क्रम में अपनी रुचि के तीन विषयों, जिस पर वे अपनी इंटर्नशिप के दौरान काम करना चाहते हैं, इंगित करें। डीईए और उसके प्रभागों को व्यापार आवंटन का विवरण डीईए की वेबसाइट (<http://dea.gov.in>) पर उपलब्ध है। आवेदन की अंतिम तिथि डीईए वेबसाइट पर विज्ञापन अपलोड करने से 15 दिनों के भीतर है।

(आलोक कुमार तिवारी)  
भारत सरकार के अवर सचिव।  
दूरभाष: 2309-2707

विषयों और आवश्यक इंटरन की संख्या की सूची निम्नलिखित है :

| क्र. सं. | आर्थिक प्रभाग                               |                                      | इंटरन की संख्या             | जिस क्षेत्र पर काम करने की अपेक्षा की जाती है उसका संक्षिप्त विवरण  |
|----------|---|--------------------------------------|-----------------------------|---|
| 1.       | आर्थिक प्रभाग                               | सामाजिक अवसंरचना, आर्थिक प्रभाग      | 2                           | सामाजिक क्षेत्र से संबंधित मुद्दों की जांच  |
|          |   | मैक्रो यूनिट, आर्थिक प्रभाग          | 2                           | मैक्रोइकॉनॉमिक फोरकास्टिंग एंड स्टेट-लेवल मैक्रोइकॉनॉमिक असेसमेंट।  |
|          |   | सार्वजनिक वित्त यूनिट, आर्थिक प्रभाग | 2                           | 1 राजकोषीय नीति और ऋण गतिकी<br>2. बजट का आर्थिक और कार्यात्मक वर्गीकरण  |
| 2.       | एफबी और एडीबी प्रभाग के एफबी (एडीबी) अनुभाग |                                      | 4                           | 1 विश्व बैंक से संबंधित मामले<br>2. एडीबी से संबंधित मामले<br>3 आईएमएफ से संबंधित मामले<br>4. आईएफसी से संबंधित मामले   |
| 3.       | ओएमआई प्रभाग                                |                                      | 2<br>(वित्त -1 और आर्थिक-1) | 1. भारत में एमडीबी द्वारा स्थानीय मुद्रा वित्तपोषण समस्याएं और संभावनाएं और (वित्त-1 और<br>2. इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इकोनॉमिक्स चुनौतियों, अवसरों और आगे बढ़ने में ऑलबी और एनडीबी की भूमिका   |
| 4.       | फाइनेंसियल मार्केट डिवीज़न                  |                                      | 2                           | 1. पीएम सेक्शन: कॉरपोरेट बॉन्ड यील्ड के निर्धारक विभिन्न देशों का अनुभव<br>2 कमोडिटी डेरिवेटिव्स सेक्शन: भारत में वेदर डेरिवेटिव्स का परिचय और वैश्विक अनुभव के आधार पर चुनौतियां।  |
| 5.       | बजट प्रभाग                                  |                                      | 4                           | 1 बजट और लेखा संबंधी मामले<br>2 सार्वजनिक ऋण लघु बचत संबंधी मामले आदि   |
| 6.       | एफएस& सीएस प्रभाग                           |                                      | 4                           | 1 कोविड -19 महामारी और वित्तीय स्थिरता पर इसके प्रभाव के कारण ऋण का बढ़ा हुआ स्तर<br>2. ऋणदाता देशों में वित्तीय तनाव और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं से पूंजी बहिर्वाह<br>3. भारत की वित्तीय स्थिरता और बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र पर कोविड 19 का प्रभाव |



|    |  |     |    |  |
|----|--|-----|----|--|
|    |  |     |    | <p>4. जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों का खुलासा केंद्रीय बैंकों की चुनौतियां और वित्तीय स्थिरता के लिए निहितार्थ</p> <p>5. कोविड -19 समर्थन उपायों को समाप्त करना और आर्थिक सुधार पर संभावित प्रभाव</p> <p>6 जी20 देशों में रेगटेक और सुपरटेक के कार्यान्वयन में हुई प्रगति: भारत के साथ तुलना</p> <p>7. शासन को मजबूत करके बैंकिंग प्रदर्शन में सुधार के तरीके (7 विषयों में से कोई भी क्षेत्र चयनित इंटरनेट को उनकी पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता के आधार पर सौंपा जाएगा)।</p> |
| 7. | एफबी/एडीबी प्रभाग के एफबी(विश्व बैंक) अनुभाग |     | 2  | विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित ब्रीफनोट तैयार करना, विश्व बैंक की रिपोर्टों और नीति पत्रों का विश्लेषण करते हुए, मामले को संसाधित करने में उनकी मदद की अपेक्षा की।   |
|    |  | कुल | 24 |  |



फ़ाइल सं. : ....../2022- 20/एनसीवीईटी  
राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण परिषद  
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय  
भारत सरकार

\*\*\*\*\*

बी-2, पूसा रोड, नई दिल्ली

दिनांक, .... मार्च, 2022

**विषय: राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की इंटरनशिप योजना के संबंध में।**

1. राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) की स्थापना दिनांक 05 दिसंबर 2018 के भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचना संख्या एसडी-17/113/2017-ई&पीडब्ल्यू के के जरिये पूर्वनाम राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए) और राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) के कार्यों और जिम्मेदारियों को सम्मिलित कर एक विनियामक निकाय के रूप में की गई है और दिनांक 01.08.2020 से यह पूरी तरह से चालू हो गए हैं।
2. नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (एनसीवीटी) को व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण और स्किलिंग इकोसिस्टम के विकास, गुणात्मक सुधार और विनियमन का काम सौंपा गया है, ताकि पुरस्कार देने वाले निकायों, मूल्यांकन एजेंसियों, कौशल सूचना प्रदाताओं और प्रशिक्षण निकाय, और इस संकल्प में विनिर्दिष्ट अन्य प्रासंगिक कार्यों को करने के लिए के कामकाज की निगरानी और निगरानी की जा सके।
3. राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) की स्थापना व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और स्किलिंग इको-सिस्टम के लिए मानकों को स्थापित करने और व्यापक नियमों को विकसित करने और लागू करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक व्यापक राष्ट्रीय विनियामक के रूप में की गई है ताकि एक मजबूत उद्योग इंटरफेसिंग और गुणवत्ता और परिणामों में सुधार के लिए स्तरित प्रभावी विनियमों को सुनिश्चित किया जा सके ।
4. एक इंटरनशिप योजना परिषद और इंटरन दोनों के लिए फायदेमंद हो सकती है। इंटरनशिप योजना इंटरन को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह के आर्थिक मुद्दों या नियामकों, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण, कौशल, प्रशिक्षण संस्थानों से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों के लिए जोखिम प्राप्त करने

में सक्षम बनाएगी।

5. प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग/प्रबंधन/अर्थशास्त्र/विज्ञान और प्रौद्योगिकी/सामाजिक विज्ञान/व्यावसायिक शिक्षा/कौशल/कानून/संस्थानों/स्कूलों/सीए के प्रशिक्षुओं से अपेक्षा की जाती है कि वे बहुत विशिष्ट मुद्दों पर शोध/जांच करके और विशिष्ट क्षेत्रों में वरिष्ठ अधिकारियों के लिए रिपोर्ट/नोट्स/इनपुट तैयार करके एनसीवीईटी के कामकाज में मूल्यवर्धन करें। परिषद विभिन्न मुद्दों पर नवीनतम सोच और विकास से भी परिचित हो सकती है जो छात्र पढ़ रहे हैं।

6. एनसीवीईटी परिषद द्वारा प्रशासित क्षेत्र से एक इंटरन विशिष्ट असाइनमेंट को असाइन करेगा। इस तरह का अध्ययन व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण/कौशल संबंधी नीतियों और दिशानिर्देशों, कौशल, योग्यता/एनओएस विकास, भविष्य के कौशल, क्रॉस-क्षेत्रीय कौशल/बहु-कौशल, कौशल संबंधी नियमों, निगरानी और पर्यवेक्षण, नौकरी सर्वेक्षण/नौकरी बाजार/ वैश्विक कौशल बाजार, सूक्ष्म / मैक्रो स्तर पर कौशल सुधार, स्कूल और उच्च शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण और एम्बेडिंग, भारत और बहुपक्षीय / द्विपक्षीय संस्थानों / देशों / भारत में कौशल संस्थानों और विदेशों में भारतीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के बीच सहयोग से संबंधित नीतियां, संबंधित नीतियां शुल्क, प्रसंस्करण शुल्क आदि, मान्यता प्राप्त निकायों के संचालन, प्रबंधन की निगरानी और पर्यवेक्षण, एनसीवीईटी तकनीकी मंच का आधुनिकीकरण, आदि।

**एनसीवीईटी इंटरनशिप योजना के लिए दिशानिर्देश:**

**7. राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की इंटरनशिप योजना के उद्देश्य और दिशानिर्देश / मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:**

|          |   |
|----------|---|
| उद्देश्य | <ul style="list-style-type: none"><li>चयनित उम्मीदवारों को परिषद के नियमों, निगरानी और पर्यवेक्षण नीतियों के निर्माण की समग्र प्रक्रिया से परिचित कराना।</li><li>देश द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख और विशिष्ट व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण/कौशल मुद्दों/समस्या में एक संक्षिप्त शोध जांच करने का अवसर प्रदान करना और उसके समाधान की पेशकश करना।</li></ul>  |
| पात्रता  | <ul style="list-style-type: none"><li>इंजीनियरिंग/प्रबंधन/अर्थशास्त्र/विज्ञान और प्रौद्योगिकी/सामाजिक विज्ञान/व्यावसायिक शिक्षा/कौशल/ एमओई या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित संस्थानों के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के अनुसार शीर्ष 100 रैंकों के भीतर विश्वविद्यालयों/संस्थानों से कानून में स्नातकोत्तर या पीएचडी करने वाले उत्कृष्ट उम्मीदवार इंटरनशिप के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।</li><li>यह कार्यक्रम स्नातक छात्रों के लिए नहीं है।</li><li>यह कार्यक्रम पीएचडी या स्नातकोत्तर छात्रों के लिए है जो व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण, कौशल और ऊपर पैरा 6 में उल्लिखित अन्य क्षेत्रों से संबंधित विशिष्ट विषयों पर काम कर रहे हैं।</li></ul> |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| शोध के विषय                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>एनसीवीईटी इंटरनशिप एप्लीकेशन पोर्टल में सांकेतिक विषयों / शोध विषयों की एक सूची उपलब्ध कराई जाएगी। छात्रों से विशिष्ट शोध अध्ययन के अवसरों के खिलाफ आवेदन करने की उम्मीद की जाती है।</li> </ul>  |
| समयावधि                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>एक वित्तीय वर्ष के दौरान अलग-अलग समय पर इंटरनशिप की समयावधि छह महीने तक होती है।</li> <li>3 महीने से कम की इंटरनशिप अवधि स्वीकार्य नहीं है।</li> <li>चूंकि समयावधि बहुत कम है, इसलिए कम समय में वांछित परिणाम सुनिश्चित करने के लिए इंटरन को बहुत गहन अध्ययन करने की आवश्यकता होगी।</li> </ul>   |
| सांकेतिक पारिश्रमिक             | <ul style="list-style-type: none"> <li>टोकन पारिश्रमिक @ 10,000/- प्रति माह प्रति प्रशिक्षु, जो उनके इंटरनशिप के संतोषजनक समापन पर और उनकी रिपोर्ट/पेपर की स्वीकृति पर देय है।</li> <li>यदि इंटरन एक से अधिक रिपोर्ट/पेपर पर काम कर रहा है, तो ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट/ पेपर के संतोषजनक रूप से पूरा होने और उसकी स्वीकृति के अंत में पारिश्रमिक @ 10,000/- प्रति माह प्रति इंटरन देय होगा।</li> </ul>                               |
| गोपनीयता की घोषणा               | <ul style="list-style-type: none"> <li>इंटरन को काम शुरू करने से पहले एक गैर-प्रकटीकरण करार पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी।</li> </ul>  |
| लॉजिस्टिक्स सपोर्ट (रसद समर्थन) | <ul style="list-style-type: none"> <li>इंटरन को आवश्यक लॉजिस्टिक्स सहायता, यानी कार्यालय स्थान और इंटरनेट सुविधा के साथ कंप्यूटर प्रदान किया जाएगा।</li> </ul>  |
| जुड़ाव                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>इंटरन विशेष रूप से एनसीवीईटी में अध्यक्ष, एक कार्यकारी सदस्य या एक निदेशक या वरिष्ठ सलाहकार के साथ जुड़े रहेंगे।</li> </ul>  |
| पेपर जमा करना                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>इंटरन को इंटरनशिप के अंत में आवंटित विषय पर संबंधित अधिकारी को एक रिपोर्ट / पेपर प्रस्तुत करना होगा।</li> <li>साथ ही, उन्हें संबंधित अधिकारी को अपनी इंटरनशिप और अपनी रिपोर्ट/पेपर जमा करने पर देना होगा।</li> </ul>   |
| आवेदन कैसे करें                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>यह स्थायी सुविधा होगी। इच्छुक और पात्र छात्र अपने संस्थान की सिफारिश के समर्थन में अपनी रुचि व्यक्त करते हुए किसी भी समय ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।</li> <li>साल में दो बार - नवंबर और मई के महीने में, विभाग इंटरन के लिए जनवरी-जून (इंटरनशिप की वास्तविक अवधि तीन महीने तक कम हो सकती है) के दो छह मासिक स्लॉट के लिए अपनी रुचि व्यक्त करने के लिए एक विशिष्ट आमंत्रण भी देगा।</li> </ul> |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| पदों की संख्या और चयन | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त सभी आवेदनों पर एक समिति द्वारा विचार किया जाएगा, जिसमें एक ईएम, सचिव एनसीवीईटी और संबंधित निदेशक शामिल होंगे।</li> <li>• परिषद किसी भी उम्मीदवार को इंटरनशिप देने के सभी अधिकार सुरक्षित रखती है। बिना कोई कारण बताए इंटरनशिप से इनकार किया जा सकता है।</li> <li>• इंटरनशिप की संख्या छह-मासिक स्लॉट में अधिकतम 10 भुगतान किए गए इंटरन तक सीमित होगी। अध्यक्ष द्वारा अत्यावश्यकता या महत्व के किसी अन्य क्षेत्र के लिए, अध्यक्ष एक अतिरिक्त भुगतान किए गए इंटरन की प्रतिनियुक्ति कर सकता है।</li> <li>• पांच अतिरिक्त अवैतनिक इंटरन का भी चयन किया जा सकता है, शीर्ष पर रैंकिंग में से, लेकिन भुगतान किए गए इंटरनशिप के लिए नहीं चुना जा सका।</li> </ul> |
| शर्तें                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• प्रशिक्षुओं से अपेक्षा की जाती है कि वे इस अवसर को गंभीरता से लें। यदि कोई इंटरन गहरी रुचि नहीं दिखाते हैं और पर्याप्त समय और प्रयास नहीं करते हैं, उन्हें समय से पहले कार्यभार मुक्त किया जा सकता है।</li> <li>• राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) में इंटरनशिप न तो नौकरी है और न ही ऐसा कोई आश्वासन।</li> </ul>  |

8. चयनित आवेदकों को उनके हितों के अनुसार, संबंधित अधिकारियों को आवंटित करने के लिए, यह सुझाव दिया जाता है कि आवेदक परिषद के एनसीवीईटी इंटरन आवेदन (<https://ncvet.gov.in>) पर पंजीकरण करें और अपने आवेदन में अपनी रुचि के क्षेत्र, तारीखों के साथ उपलब्धता की अवधि और वरीयता के क्रम में अपनी रुचि के तीन विषयों, जिस पर वे अपनी इंटरनशिप के दौरान काम करना चाहते हैं, इंगित करें।

9. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है ।

परिषद के सचिव सह  
निदेशक(नीति) एनसीवीईटी

एनसीवीईटी में विषयों और प्रभागों की सूची इस प्रकार है::

| क्र. सं. | प्रभाग का नाम   | इंटरन की संख्या | शोध के क्षेत्र  |
|----------|---|-----------------|---|
| 1.       | व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण/कौशल संबंधी नीतियां और दिशानिर्देश    | 1               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• कौशल सूचना प्रदाताओं की मान्यता के लिए दिशा-निर्देश बनाना</li> <li>• शुल्क, प्रसंस्करण शुल्क आदि से संबंधित नीतियां,</li> <li>• विभिन्न क्षेत्रों में दिशानिर्देश</li> <li>• कौशल विश्वविद्यालय</li> </ul>   |
| 2.       | व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण/कौशल से संबंधित विनियम                | 1               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• अवार्डिंग बॉडीज के दिशा-निर्देशों में संशोधन और सरलीकरण</li> <li>• आकलन एजेंसियों का संशोधन और सरलीकरण</li> <li>• विभिन्न क्षेत्रों में विनियमों का मसौदा तैयार करना</li> </ul>  |
| 3.       | राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ) संबंधित                    | 1               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• अर्हता/एनओएस संचालन का विकास और संशोधन,</li> <li>• एनएसक्यूएफ स्तर में संशोधन</li> <li>• अर्हता कोड/एनसीओ कोड</li> <li>• एनएसक्यूएफ टेम्पलेट्स का संशोधन और आगे सरलीकरण</li> </ul>   |
| 4.       | मान्यता प्राप्त निकायों की प्रबंधन निगरानी और पर्यवेक्षण,           | 1               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• निकायों को पुरस्कार देकर प्रशिक्षण प्रदाताओं की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए दिशा-निर्देश बनाना</li> <li>• पुरस्कृत निकायों की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन</li> <li>• मूल्यांकन एजेंसियों की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन</li> <li>• इस क्षेत्र के अंतर्गत कोई अन्य विषय</li> </ul> |
| 5.       | फ्यूचर स्किल, क्रॉस-सेक्टरल कौशल और बहु-कौशल,                       | 1               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• वैश्विक स्तर पर भविष्य के कौशल पर दृष्टि</li> <li>• भविष्य के कौशल की पहचान और विकास,</li> <li>• क्रॉस-सेक्टरल कौशल/बहु-कौशल की पहचान और विकास</li> </ul>  |
| 6.       | माइक्रो/मैक्रो लेवल पर स्किलिंग में सुधार, इंटीग्रेशन और            | 1               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• एकीकृत क्रेडिट फ्रेमवर्क</li> <li>• स्किल हब</li> <li>• एससीपीडब्ल्यूडी संबंधित कौशल</li> <li>• अन्य सुधार</li> </ul>  |
| 7.       | स्कूल और उच्च शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत और एम्बेड करना | 1               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• स्कूल और उच्च शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा के लिए एनएसक्यूएफ संरेखण</li> <li>• स्कूली शिक्षा के लिए एनएसक्यूएफ संरेखित पाठ्यक्रम</li> </ul>  |

|     |   |              |  |
|-----|---|--------------|--|
|     |   |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>एचईआई/ईसी में इंटरनशिप</li> <li>चुनौतियाँ और कार्यान्वयन</li> </ul>   |
| 8.  | नौकरी का सर्वेक्षण, जॉब मार्केट, वैश्विक कौशल बाजार,                            | 1            | <ul style="list-style-type: none"> <li>भारत में नौकरी बाजार सर्वेक्षण पर प्राथमिक और द्वितीयक डेटा पर शोध</li> <li>विदेशों में रोजगार बाजार सर्वेक्षण पर प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों पर शोध</li> <li>कौशल में वैश्विक रोजगार बाजारों तक पहुँचने की रणनीतियाँ</li> </ul> |
| 9.  | अंतरराष्ट्रीय सहयोग और मान्यता  | 1            | <ul style="list-style-type: none"> <li>भारत और बहुपक्षीय/द्विपक्षीय संस्थानों/देशों/भारत में कौशल संस्थानों और विदेशों में भारतीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के बीच सहयोग में कौशल,</li> </ul>   |
| 10. | एनसीवीईटी का प्रौद्योगिकी और आधुनिकीकरण   | 1            | <ul style="list-style-type: none"> <li>राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) वेब पोर्टल</li> <li>राष्ट्रीय योग्यता रजिस्टर (एनक्यूआर) वेब पोर्टल</li> <li>द्वितीयक डेटाबेस से एपीआई</li> <li>एनसीवीईटी तकनीकी मंच</li> </ul>                        |
| 11  | अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया जाने वाला अत्यावश्यकता या महत्व का कोई अन्य क्षेत्र। | 1            | <ul style="list-style-type: none"> <li>मामला-दर-मामला आधार पर निर्णय लिया जाना</li> </ul>  |
|     | कुल   | 10<br>+<br>1 | <ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>   |

\*\*\*\*\*